



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271182
CG-DL-E-23032026-271182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
[व्यापार उपचार महानिदेशालय]
अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

मामला संख्या एडी (ओआई)-09/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्याति बीटा नेफथोल के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच

फा. सं. 6/09/2025-डीजीटीआर—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- जबकि, बोडल केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से बीटा नेफथोल (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया।
- और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च, 2025 की अधिसूचना सं. 6/09/2025-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने

तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरु की गई थी।

क. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले, वर्तमान पाटनरोधी आवेदक के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ii. नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2025 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई थी।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकारों को भारत में उनके दूतावास, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग एवं अन्य घरेलू उत्पादकों जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने दृष्टिकोणों से लिखित रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर अवगत कराएं।

3.2 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्ति की जांच में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल थी।

3.3 आयात संबंधी आंकड़े

- i. क्षति की अवधि और इसके साथ ही जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के के आयातों का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम्स को अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना करने के लिए और लेनदेन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स आंकड़ों पर विश्वास किया है।

3.4 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी।

3.5 संबद्ध देश के निर्यातकों की प्रतिभागिता

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

- i. बुइपो इंटरनेशनल
- ii. चांगशान हाइचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. चाइना जियांग्सू इंटरनेशनल केमिकल कंपनी लिमिटेड
- iv. डालियान केम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- v. हांगझोऊ डिंगहाओ केमिकल कंपनी लिमिटेड
- vi. हुबेई टाइनेम ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- vii. जिंगिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- viii. नानजिंग सिंसियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ix. नानजिंग स्काईफ्लाई केमिकल कंपनी लिमिटेड (स्काईफ्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड)
- x. नेइमंगगु मेई ली जियान केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- xi. शंघाई एमिनो-केम कंपनी लिमिटेड
- xii. सिनोकेम प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड

- xiii. विंटरसन कलर कंपनी लिमिटेड
- xiv. जियान फुल लिंक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- xv. झेजियांग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
- xvi. झेजियांग लिंक केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xvii. झेजियांग मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- ii. संबद्ध जांच की शुरुआत करने के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर कर प्रत्युत्तर दिया है:
 - i. चांगशान हाइचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ii. इनर मंगोलिया वुहाई याडोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iii. जीनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iv. शेंडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - v. शंघाई अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड
 - vi. शंघाई सनराइज़ इंटरनेशनल लिमिटेड
 - vii. सिनोकेम प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - viii. तियानजिन याडोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ix. तियानजिन याडोंग लॉगक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड
 - x. शीआन फुल-लिंक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

3.6 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक जानकारी देने की मांग करते हुए आयातक की प्रश्नावलियां भी भेजी:
 - i. अजंता केमिकल इंडस्ट्रीज
 - ii. अनार केमिकल्स एलएलपी
 - iii. अनिल ऑर्गेनिक्स
 - iv. अंजनी डाइज़ एंड इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमिटेड
 - v. अन्नपूर्णा एंटरप्राइज
 - vi. एरीज़ ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. एशियाटिक कलर-केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. बेक्टा प्रयोगशालाएँ
 - ix. भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - x. भगवती इंटरमीडिएट्स
 - xi. कलरटेक्स इंडस्ट्रीज
 - xii. डीप कैमिकल
 - xiii. डेवर्सन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - xiv. दिविज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड

- xv. डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
- xvi. दृष्टि इम्पेक्स
- xvii. डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xviii. डायनेमिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- xix. गौरव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xx. गायत्री कलर केम इंडस्ट्रीज
- xxi. गोपीनाथ केम-टेक लिमिटेड
- xxii. हिंदप्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxiii. जैगसन कलरकेम लिमिटेड
- xxiv. किरि इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxv. कुशन इम्पेक्स
- xxvi. लॉक्सिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxvii. लायन कलरकेम
- xxviii. लोन्सेन किरि केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xxix. मंगलम इंटरमीडिएट्स
- xxx. मैकसन उत्पाद
- xxxi. महावीर सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड
- xxxii. माइकास ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
- xxxiii. न्यूकेम डार्ई स्टफ्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxiv. एन.एस. निर्यात
- xxxv. एनसीआर कलर्स एलएलपी
- xxxvi. प्रोलाइफ बायो-केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xxxvii. पार्श्वनाथ कलर केम
- xxxviii. फेरोमोन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xxxix. प्रवीण डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड
- xl. एक्सएल. रोनिट एंटरप्राइज
- xli. रिटॉर्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xlii. रोहा डार्ई केम प्राइवेट लिमिटेड
- xliii. रोहडिस एरोमैटिक्स
- xliv. स्वेता केमिकल्स
- xlv. श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- xlvi. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xlvii. सोडियम मेटल प्रा. लिमिटेड
- xlviii. टीएस स्पेशलिटी केमिकल्स
- xlix. ट्रिनिटी पिगमेंट इंडस्ट्रीज
- i. यूएस कलर्स एंड इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रीडिएंट्स लिमिटेड
- iii. वर्ल्ड केम कारपोरेशन

- ii. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, कल्पसूत्र केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और डॉ रेड्डीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड ने प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रस्तुत करके उत्तर दिया है।

3.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- i. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

3.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग के साथ-साथ भारत में अन्य ज्ञात उत्पादकों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

- i. घरेलू उद्योग
- ii. चांगशान हाइचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. इनर मंगोलिया वुहाई याडोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- iv. जीनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- v. शेडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- vi. शंघाई अमीनो-केम कंपनी लिमिटेड
- vii. शंघाई सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड
- viii. सिनोकेम प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
- ix. तियानजिन याडोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- x. तियानजिन याडोंग लोंगक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड
- xi. शियान फुल-लिक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- xii. डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड

3.9 मौखिक सुनवाई

- i. इस नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 9 जनवरी, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत का निर्देश दिया गया था।

3.10 आगे की प्रक्रिया

- i. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- ii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने विचारों से लिखित रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर अवगत कराएं। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार से पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी, अतः विचाराधीन उत्पाद के दायरे को दिनांक 28 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से उसी रूप में अधिसूचित किया गया था, जैसा कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित किया गया था।
- iii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उसके साथ ही उसमें सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।
- iv. उत्पादकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और आयातकों के साथ-साथ प्रयोक्ता संघ सहित निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों की ओर से संबद्ध जांच में अनुरोध दायर किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग
 - ii. जीनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iii. शेडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - iv. इनर मंगोलिया वुहाई याडोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - v. चांगशान हाइचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - vi. शंघाई अमीनो केम कंपनी लिमिटेड
 - vii. शंघाई सनराइज़ इंटरनेशनल लिमिटेड
 - viii. सिनोकेम प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड
 - ix. तियानजिन याडोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - x. तियानजिन याडोंग लॉगक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड
 - xi. शियान फुल-लिंक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - xii. डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ लिमिटेड
 - xiii. कल्पसूत्र केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- v. उत्पादन की इष्टम लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने और उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी और इस नियमावली के अनुबंध-III और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर आधारित क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) तय की गई है ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
 - vi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक उपयुक्त रूप से विचार किया गया है, जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य थे और उन्हें वर्तमान जांच के संगत माना गया।
 - vii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न प्रकट की गई जानी माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
 - viii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
 - ix. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी, जो वर्तमान प्रकटन विवरण का आधार बनता है, की सटीकता के बारे में संभव सीमा तक अपने आप को संतुष्ट किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया, जिस सीमा तक उन्हें संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।
 - x. इस प्रकटन विवरण में ‘***’ किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी और इस नियमावली के अन्तर्गत वैसी मानी गई जानकारी का द्योतक है।
 - xi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.27 रु है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि आवेदक द्वारा पेश किए गए उत्पाद के संबंध में गुणवत्ता संबंधी चिंताएं हैं। विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अन्य अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं।

- क. बीटा नैफथोल के दोनों रूप, ठोस क्रिस्टल (फ्लेक) और सूखे पाउडर फॉर्म उत्पाद दायरे में शामिल हैं।
- ख. आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद सभी भौतिक पहलुओं में आयातित उत्पाद के सदृश्य अथवा एक जैसी है, और इस प्रकार वह आयातित वस्तु की समान वस्तु होती है।
- ग. उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में, संबंधित प्रयोक्ता के साथ पत्राचार साझा किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रयोक्ता ने पाटित कीमतों आयात की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग को कोई ऑर्डर नहीं दिया है।
- घ. घरेलू उद्योग ने नियमित रूप से अमेरिका, जर्मनी और जापान को उत्पाद का निर्यात किया है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है।
- ड. घरेलू उद्योग को अमेरिका में अपने ग्राहक से मान्यता पत्र भी प्राप्त हुआ है, जो गुणवत्ता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया।

3. विचाराधीन उत्पाद बीटा नैफथोल या 2-नैफथोल या वी-नैफथोल है और इसका रासायनिक सूत्र सी10एच8ओ है। यह ठोस क्रिस्टल फ्लेक्स और सूखे पाउडर के रूप में उपलब्ध फिनोल का नैफथेलीन होमोलोग है। यह सफ़ेद रंग के फ्लेक्स या पाउडर है जो चमकदार और भारी दिखता है और इसमें मीठी और टार की गंध होती है। बीटा नैफथोल का निर्माण प्रमुख कच्चे माल जैसे नैफथेलीन, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करके किया जाता है।
7. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उत्पाद को बाहर करने या संशोधनों के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 28 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि की। प्राधिकारी अपने अंतिम निर्धारण में जांच शुरुआत की अधिसूचना और दिनांक 28 अप्रैल 2025 की उक्त अधिसूचना में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के समान दायरे को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।
8. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 29 के तहत कार्बनिक रसायनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और यह प्रशुल्क कोड 2907 15 20 के तहत वर्गीकरण योग्य है। हालांकि, वस्तुओं का आयात 2907 1510 के तहत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता घटिया है। हालांकि, इस तरह के दावे का समर्थन करने के लिए विशिष्टता शीट या परीक्षण रिपोर्ट, या किसी अन्य दस्तावेज़ के रूप में कोई साक्ष्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने ग्राहक से मान्यता प्रमाण पत्र के रूप में साक्ष्य प्रदान किया है, जो इसके द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। घरेलू उद्योग ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उसने कई देशों को उच्च कीमतों पर वस्तु का निर्यात किया है, जो दर्शाता है कि उसकी वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।
10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं में कोई अधिक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किया जा रहा है। इसके मद्देनजर, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान माना वस्तु के रूप में जाने जाने का प्रस्ताव है।

ग. घरेलू उद्योग दायरा और आधार

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. आवेदक संबद्ध वस्तुओं का नियमित आयातक है और उसे घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए।
 - ख. जबकि प्राधिकारी के पास घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र आयातक पर विचार करने का विवेकाधिकार है, ऐसा केवल आवेदक द्वारा किए गए आयात की कीमत की तुलना घरेलू कीमतों से करने और भारत में समग्र आयात कीमत पर ऐसी कीमतों के प्रभाव की जांच करने के बाद ही किया जाना चाहिए।
 - ग. आयात के हिस्से की तुलना उत्पादन से की जानी चाहिए, न कि खपत से, जैसा कि आवेदक द्वारा किया गया है।

- घ. आवेदक ने किए गए आयात की कीमत का भी प्रकटन नहीं किया है, इसलिए, यदि आवेदक ने पाटित कीमतों पर आयात किया है, तो यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग ने खुद पाटन में योगदान दिया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि से पहले और बाद की अवधि के लिए अपने आयात का प्रकटन नहीं किया है, जिससे यह जांच करने में बाधा आती है कि क्या वह नियमित आयातक है या नहीं।
- च. आवेदक द्वारा किए गए आयात की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमता के साथ काम कर रहा था और इस क्षमता का उपयोग कैप्टिव खपत के लिए कर सकता था। उत्पाद के कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं, जिन्हें आयात करने की आवश्यकता थी।
- छ. आवेदक द्वारा किए गए आयात संबद्ध आयात का हिस्सा हैं, जो क्षति के मापदंडों में योगदान करते हैं।
- ज. आवेदक कम कीमतों पर आयात करके कीमत निर्धारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह बाजार के अधिकांश हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- झ. संबद्ध वस्तुओं के अन्य दो उत्पादकों ने समर्थन नहीं दिया है और संबद्ध जांच में भाग नहीं लिया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक के अलावा समान वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात्, ईस्टर्न नैफ्था केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मल्टी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
- ख. घरेलू उद्योग कुल उत्पादन का ***% है।
- ग. आवेदक ने कैप्टिव खपत के लिए अग्रिम अधिकरण के तहत जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की ***एमटी की नगण्य मात्रा का आयात किया है। भारत में कुल आयात, कुल मांग और कुल उत्पादन की तुलना में आयात की इतनी मात्रा बहुत कम है।
- घ. आवेदक का प्राथमिक ध्यान उत्पादन पर और न कि आयात करने पर है।
- ड. यह देखते हुए कि आवेदन दायर करने के चरण में आयात के बारे में तथ्य का प्रकटन किया गया था और आवेदक घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र पाया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत से पहले ही आवेदक द्वारा किए गए आयात की जांच कर ली थी।
- च. पाटित किए गए आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कमतर है, जिससे डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं को कीमतों पर अन्य अधिकार क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने में सक्षम बनाता है। चूंकि घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उत्पादों का भी निर्माण करता है, इसलिए घरेलू उद्योग को अन्य अधिकार क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम उत्पाद को प्रतिस्पर्धी रखने के लिए संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए मजबूर किया गया था।
- छ. घरेलू उद्योग की आयात कीमत भारत में संबद्ध वस्तु की आयात कीमत की तुलना में बहुत अधिक है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात भारत में पाटन के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं क्योंकि कोई भी उत्पादक अन्य उत्पादकों से संबद्ध वस्तुओं को खरीदने और अपने स्वयं के उत्पाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, खासकर ऐसे मामले में जहां उत्पादक अप्रयुक्त क्षमता रखता है।
- झ. प्राधिकारी की पिछली कार्य-पद्धति के अनुसार, भले ही आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद को कम मात्रा में आयात किया हो, फिर भी यह घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा, चीन से "मेट्रोनिडाज़ोल" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादक को अग्रिम अधिकरण के तहत आयात के बावजूद घरेलू उद्योग बनने के लिए यह मानते हुए पात्र पाया कि आवेदक एक व्यापारी के बजाय उत्पादक था।
- ज. जांच की अवधि से पहले या बाद की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़े प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन बोडल केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात्, ईस्टर्न नैफ्था केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मल्टी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड।
15. आवेदक ने यह कहा है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक के उत्पादन, संबद्ध वस्तु और देश में मांग के संबंध में आयात की मात्रा नगण्य है। आवेदक द्वारा डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन के उद्देश्य से अग्रिम अधिकरण योजना के तहत किए गए हैं।

विवरण	पीओआई (एमटी)
बोडल द्वारा किया गया आयात	***
भारत में कुल आयात	13,780
निम्नलिखित के संबंध में कुल आयात	***%
रेंज	0-5%
भारत में खपत	17,690
भारत में खपत की तुलना में आयात	***%
रेंज	0-5%
घरेलू उद्योग का उत्पादन	***
उत्पादन की तुलना में आयात	***%
रेंज	0-10%

16. उपरोक्त जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि उत्पादक का ध्यान उत्पाद के उत्पादन पर बना हुआ है और आयात की ओर स्थानांतरित नहीं हुआ है।
17. यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग आयात के माध्यम से कीमत निर्धारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह बाजार में अधिकांश हिस्सेदारी रखता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किए गए आयात नगण्य हैं। इसके अलावा, पिछले वर्षों के दौरान भी आयात मामूली थे। इन आयातित उत्पादों को बाजार में नहीं बेचा गया था। इन आयातों पर विचार करने के बाद भी, घरेलू उद्योग को बाजार में अधिकांश हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि आयात की इतनी कम मात्रा घरेलू उद्योग को बाजार में कीमतें निर्धारित करने की अनुमति नहीं देती हैं।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
आवेदक द्वारा आयात	एमटी	***	***	-	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	-	55
संबद्ध आयात	एमटी	20,529	16,824	16,579	13,780
आयात में हिस्सा	%	***	***	***	***
आयात में हिस्सा	रेंज	0-5%	0-5%	0%	0-5%
आवेदक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	102	138

18. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धति के अनुसार, आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माने जाने का प्रस्ताव है।
19. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने पूरी क्षति की अवधि के दौरान इसके द्वारा किए गए आयात के बारे में जानकारी प्रदान की है। इस तरह की जानकारी का एक अगोपनीय सारांश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कुल आयातों की प्रतिशत रेंज के रूप में व्यक्त की गई आयात की मात्रा के रूप में भी उपलब्ध कराया गया था।

20. आवेदक ने दो उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में जानकारी प्रदान की है। वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसे ही माना गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक कुल घरेलू उत्पादन का ***% का एक प्रमुख अनुपात बनाता है। इसलिए, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का है, और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10 / 2018 का उल्लंघन करते हुए क्षतिरहित कीमत को +/- 10% सीमा और निवल बिक्री प्राप्ति का प्रकटन नहीं करके गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (पाटनरोधी अपील संख्या 52233 का 2018) के मामले में सेस्टेट के निर्णय के अनुरूप दिनांक 12 जून 2020, प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह जांच के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड पर लिए गए आयात आंकड़ों को उसी प्रारूप और तरीके में प्रदान करे।
- ग. घरेलू उद्योग ने उस कीमत का खुलासा नहीं किया है जिस पर संबद्ध वस्तुओं का आयात उसके द्वारा किया गया था।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई गोपनीयता आपत्तियों को देर से प्रस्तुत किया जाता है, आवश्यक 7-दिवसीय अवधि के बाद लंबे समय तक प्रस्तुत किया जाता है, और उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रचालित आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में अनुक्रमित रूप और क्षतिरहित कीमत श्रेणियों में निवल बिक्री प्राप्ति प्रदान की है। चूंकि निवल बिक्री प्राप्ति का प्रकटन अत्यधिक गोपनीय है, इसलिए इसका प्रकटीकरण आवेदक के प्रतिस्पर्धी हितों के लिए हानिकारक होगा।
- ग. बहुत सीमित सीमा में क्षतिरहित कीमत का प्रकटन उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे व्यापक सीमा में प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी हितबद्ध पक्षकार के लिए हानिकारक नहीं होते हैं।
- घ. आवेदक ने तीसरे पक्षकार के बाजार आसूचना आंकड़ों के आधार पर आयात सारांश प्रदान किया है, जिसे प्रकट करने के लिए वह अधिकृत नहीं है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के चरण में ही घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है, और डीजी सिस्टम आंकड़ों की मांग की है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात की कीमत को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार है:

(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।“

24. गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी संभव हुआ, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई जानकारी माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
25. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। यह देखा जाता है कि आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन की लागत से संबंधित जानकारी की सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा जाता है कि जहां भी जानकारी किसी क्षति की अवधि के लिए है, उसे अनुक्रमित आधार पर प्रदान किया गया है।
26. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निवल बिक्री प्राप्ति का प्रकटन नहीं किया है, यह नोट किया गया जाता है कि रुझान प्रदान किए गए हैं। प्राधिकारी यह पाते हैं कि अलग अलग पक्षकारों की आयात कीमत के संबंध में जानकारी गोपनीय प्रकृति की है। क्षतिरहित कीमत के संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक सीमित सीमा में प्रकटन घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों के लिए हानिकारक होगा। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए औचित्य से संतुष्ट होने के बाद गोपनीयता का दावा स्वीकार कर लिया है।
27. आयात आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बाजार की आसूचना जानकारी के रूप में स्रोत की पहचान की है और उसी के आधार पर आयात विवरण प्रदान किया है। हालाँकि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के चरण में या अपने निर्धारण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में अपने निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- क. डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के प्रश्नावली प्रतिक्रिया का गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर 3 जून 2025 को समय पर दायर किया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

29. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. यह जांच की गई है और पाया गया है कि डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की प्रतिक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की गई थी।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन को सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर की गई जानकारी के आधार पर होना चाहिए।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अर्थहीन हैं।
- ग. सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए, जो घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के अनुकूलन पर आधारित है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- क. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नवाचार के अनुच्छेद 15 (क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुबंध-1, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. चूंकि चीन के अभिगम नवाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान लागू रहते हैं, इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए यह दर्शाना अपेक्षित है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है।
- ग. सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार और उचित लाभ के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह नहीं माना जा सकता है कि विदेशी उत्पादक इष्टतम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और इसलिए, कच्चे माल और यूटिलिटी की न्यूनतम उपयोगिता अथवा क्षमताओं का उच्चतम उपयोगिता प्राप्त कर ली गई होगी।
- घ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।
- ड. सहयोगी उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं के आधार पर अलग अलग मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है, यदि ऐसी प्रतिक्रियाओं में पर्याप्त और सटीक जानकारी पाई जाती है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**च.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण**

33. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम नवाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

15. (क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के तहत उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या एक ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तों उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

34. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नवाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) को उद्धृत किया और उस पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा ही जाना चाहिए कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनी हुई हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार से प्रेरित है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।
35. वर्तमान मामले में किसी भी सहयोगी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा नहीं किया है। तदनुसार, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है।

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबद्ध पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।"

36. वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या संरचित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, उत्पाद के पास छह अंकों के स्तर पर विशिष्ट प्रशुल्क कोड नहीं है, ताकि अन्य देशों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से निर्यात की कीमत पर विचार करने की अनुमति मिले। उत्पाद केवल भारत में संबद्ध देश से आयात किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के समायोजित लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए विधिवत समायोजित करके, भारत में देय कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

च.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

इनर मंगोलिया बुहाई यादोंग फाइन केमिकल कं. लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

37. जांच की अवधि के दौरान, इनर मंगोलिया बुहाई यादोंग फाइन केमिकल कं. लिमिटेड (इनर मंगोलिया) ने विचाराधीन उत्पाद का *** एमटी भारत को निर्यात किया है, जिसमें से *** एमटी निर्यातक के माध्यम से निर्यात किया गया है। शेष *** एमटी इसके संबंधित निर्यातकों, शंघाई सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड, तियानजिन यादोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, तियानजिन यादोंग लॉन्गक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया है।

इनर मंगोलिया → शंघाई सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड → शंघाई एमिनो केम कंपनी, लिमिटेड. → भारत में असंबद्ध ग्राहक

इनर मंगोलिया → तियानजिन यादोंग केमिकल कं. लिमिटेड → सिनोकेम प्लास्टिक्स कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

इनर मंगोलिया → तियानजिन यादोंग लॉन्गक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड → सिनोकेम प्लास्टिक्स कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

इनर मंगोलिया → तियानजिन यादोंग लॉन्गक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड → शंघाई एमिनो केम कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

इनर मंगोलिया → तियानजिन यादोंग लॉन्गक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड → शीआन फुल-लिक ट्रेडिंग कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

इनर मंगोलिया → तियानजिन यादोंग लॉन्गक्सिन इंटरनेशनल लिमिटेड → चांगशान हैचेंग केमिकल कं. लिमिटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक

38. निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर तय की गई है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल-भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और दूसरे संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं। इस तरह निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

जिनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड और शेडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

39. जिनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड (जिनिंग सनशाइन) और शेडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (शेडोंग सेंचुरी) विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध उत्पादक हैं। जाँच की अवधि के दौरान, जिनिंग सनशाइन और शेडोंग सेंचुरी ने विचाराधीन उत्पाद की क्रमशः ***एमटी और ***एमटी मात्रा भारत को निर्यात की है। दोनों उत्पादकों ने उत्पाद को सीधे निर्यात किया है।

जिनिंग सनशाइन → भारत में असंबद्ध ग्राहक

शेडोंग सेंचुरी → भारत में असंबद्ध ग्राहक

40. निर्यात कीमत भारत में असंबद्ध ग्राहकों से ली गई बिक्री कीमत के आधार पर तय की गई है। डेस्क सत्यापन के बाद समुद्री माल-भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और दूसरे संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं। इस तरह निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

च.3.3. पाटन का मार्जिन

41. संबद्ध उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही इकाई माना गया और उन्हें एक ही पाटन मार्जिन दिया गया, जिसकी गणना सहयोगी संबद्ध उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई। क्षति का मार्जिन भी इसी तरह तय किया गया है।
42. ऊपर दिए गए अनुसार तय किया गया सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात कीमत को देखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(%)	(श्रेणी)
1.	इनर मंगोलिया वुहाई यडोंग फ्राइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2.	सनशाइन ग्रुप	***	***	***	***	25-35
क	जिनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***
ख	शेडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***
3.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

43. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग को मात्रा या कीमत में क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।
- संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादकों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद संबद्ध जाँच में न तो सहयोग किया और न ही इसमें शामिल हुए। इससे पता चलता है कि क्षति उद्योगव्यापी नहीं है।

- iii. संबद्ध आयात में निरपेक्ष रूप से काफी कमी आई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 की तुलना में जाँच की अवधि में संबद्ध आयात में तुलनात्मक रूप से भी कमी आई है। नियमों के अनुलग्नक-II के पैरा (ii) के प्रावधानों के तहत आयात में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- iv. हालांकि संबद्ध आयात माँग के अनुरूप बढ़े हैं; लेकिन माँग में कमी के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री बढ़ी है।
- v. यह कहना कि आयात माँग-आपूर्ति में अंतर से ज़्यादा है, गलत है क्योंकि यह मान लिया गया है कि संयंत्र 100% क्षमता उपयोग के साथ काम करेगा जो व्यावहारिक नहीं है। माँग-आपूर्ति में अंतर का मूल्यांकन आवेदक के क्षमता उपयोग के ऐतिहासिक रूझानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- vi. आवेदक द्वारा किए गए आयात को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आवेदक अपनी स्वयं की गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता।
- vii. कीमत में कोई ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि कल्पसूत्र की आयात कीमतें घरेलू खरीद कीमतों से ज़्यादा हैं।
- viii. घरेलू कीमतों में गिरावट का कारण संबद्ध आयात को नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत भी गिरी है। इस तरह, कीमत में गिरावट आंतरिक प्रचालन या प्रबंधन संबंधी घटकों की वजह से है।
- ix. घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने और मात्रा आधारित ग्रोथ करने के लिए घरेलू उद्योग का एक रणनीतिक निर्णय है।
- x. पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ज़्यादा है, जिससे कीमत में नकारात्मक कटौती हो रही है। इस तरह, यह साफ़ है कि संबद्ध आयात घरेलू कीमतों पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं।
- xi. यह कहना कि कीमत कटौती नकारात्मक है, क्योंकि घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने हेतु कीमतें कम रखने के लिए मजबूर किया गया है, केवल अनुमान है।
- xii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ा है, जबकि आयात में गिरावट आई है।
- xiii. वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्षमता उपयोग में आई अस्थायी गिरावट को आयात की वजह से नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस समय घरेलू उद्योग ने ज़्यादा क्षमता उपयोग हासिल किया, उस समय आयात की मात्रा बही थी।
- xiv. किसी भी कथित मूल्य कटौती ने घरेलू उद्योग को बिक्री में वृद्धि हासिल करने से नहीं रोका है।
- xv. माँग में कमी के बावजूद, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई। दूसरे उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी कम हुई, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादकों से बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है और बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति है।
- xvi. दूसरे उत्पादकों के भागीदारी न करने की वजह से, उनकी बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट को सत्यापित नहीं किया जा सकता और न ही उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हिस्सेदारी में सच में गिरावट आई होती, तो उत्पादकों ने भागीदारी की होती।
- xvii. यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 74% बढ़ गई है, यह नहीं माना जा सकता कि आयात बाजार पर हावी है।
- xviii. क्षति की अवधि में माल-सूची में मामूली बढ़ोतरी उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। बिक्री में बढ़ोतरी की वजह से 2023-24 के मुकाबले जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की माल-सूची में कमी आई है।
- xix. हर दिन उत्पादकता के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कार्यबल का बढ़ना क्षति के दावे को गलत साबित करता है। इसके अलावा, वेतन और मजदूरी में कमी आई है, जो मजदूरी के इष्टतमीकरण को दिखाता है, न कि घरेलू उद्योग को क्षति को।
- xx. क्षति की अवधि में आवेदक के नुकसान में कमी आई।
- xxi. वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच पहुँच कीमत बही रही और आयात में कमी आई, लेकिन घरेलू उद्योग लाभ की स्थिति से नुकसान की स्थिति में जाने लगा।
- xxii. घरेलू उद्योग ने मात्रा बढ़ाने के लिए जानबूझकर कीमतें कम की हैं।
- xxiii. आवेदक ने कहा है कि आयात कैप्टिव खपत के लिए है और वैश्विक बाजार में अपने डाउनस्ट्रीम उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति आयात की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी बढ़ी हुई लागत और अकुशलता की वजह से है।

- xxiv. आवेदक ने स्वयं को क्षति पहुंचाई है क्योंकि आवेदक के पास बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है और वह कीमत तय करता है। कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करके, आवेदक ने खुद को क्षति पहुंचाई है।
- xxv. वैश्विक वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सख्ती और ब्याज दरों के बढ़ने की वजह से ब्याज लागत काफी बढ़ गई है। ब्याज लागत में बढ़ोतरी क्षमता में बढ़ोतरी की वजह से नहीं मानी जा सकती है।
- xxvi. मूल्यहास में बढ़ोतरी से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने नए निवेश किए हैं, जो उसके इस दावे के विपरीत है कि क्षति ने व्यवसाय को बढ़ाने में रुकावट डाली है।
- xxvii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कोविड, रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल से संबंधित तनाव के कारण प्रभावित हुई है जैसा कि इसके सीएफओ ने वित्त वर्ष 2025 (तीसरी तिमाही) के लिए अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में कहा है, न कि संबद्ध आयात के कारण।
- xxviii. सीएफओ ने कहा है कि दुनिया भर में सभी उत्पादों की माँग अचानक कम हो गई है। इससे पता चलता है कि आयात की वजह से सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाभकारिता में कमी आई है।
- xxix. कम क्षमता उपयोग प्रचालन संबंधी अकुशलताओं या व्यावसायिक कार्यनीतियों की वजह से है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

44. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- एक बार जब आवेदक घरेलू उद्योग बन जाता है, तो निर्धारित घरेलू उद्योग के लिए क्षति की जाँच की जानी चाहिए। दूसरे घरेलू उत्पादकों का वित्तीय प्रदर्शन इस प्रयोजन से अप्रासंगिक है। यह बात ईसी – बेड लिनन के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय और यूएस – हॉट-रोल्ड स्टील के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय के साथ भी संगत है।
 - जाँच की अवधि के दौरान, माँग में कमी के कारण, पिछली अवधियों की तुलना में आयात में तुलनात्मक रूप से कमी आई। हालांकि, आयात पिछली अवधियों की तुलना में ज़्यादा रहा।
 - उत्पादन और खपत के संदर्भ में आयात बढ़ा है।
 - भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात की मात्रा उल्लेखनीय है।
 - संबद्ध आयात माँग-आपूर्ति अंतर से दोगुने से भी अधिक है।
 - माँग-आपूर्ति के अंतर को घरेलू उद्योग की क्षमता के आधार पर देखा जाएगा, न कि उत्पादन के आधार पर, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है।
 - हितबद्ध पक्षकारों के दावे के उलट, आवेदक द्वारा किए गए आयात को जाँच के विश्लेषण से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षति की जाँच संबद्ध आयात के संदर्भ में की जानी चाहिए।
 - क्षति की अवधि में आयात की पहुँच कीमत में गिरावट के कारण कम कीमत वाले आयात की माँग में वृद्धि हुई है।
 - आयात की पहुँच कीमत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है और इसने घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया है।
 - आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हुई हैं, और कीमतों में अन्यथा होने वाली बढ़ोतरी रुकी है।
 - हितबद्ध पक्षकारों के दावों के उलट, कीमत में हास और न्यूनीकरण की जाँच अलग-अलग पक्षकारों के ट्रांज़ैक्शन पर आधारित नहीं होगी, बल्कि पूरे संबद्ध आयात पर आधारित होगी। इसके अलावा, कीमत में हास और न्यूनीकरण खरीद की कीमत पर आधारित नहीं है, बल्कि भारत में संबद्ध आयात की बिक्री लागत की कीमत, विक्रय कीमत और पहुँच कीमत के उतार-चढ़ाव पर आधारित है।
 - घरेलू उद्योग को न केवल घरेलू बाज़ार में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी चीन से आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निर्यात कीमतों में गिरावट आ रही है।
 - घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात बिक्री ज़्यादा लाभकारी है, जो दिखाता है कि चीन से पाटित आयात होने की वजह से बाजार की स्थितियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
 - घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के बराबर कीमत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

- xv. यह कोई अनुमान नहीं है कि घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि आयात की बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी है। यदि कीमतें कम करने की कोई मजबूरी नहीं होती, तो घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें लेता।
- xvi. कीमतों में गिरावट को घरेलू उद्योग का रणनीतिक निर्णय नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास कम हिस्सेदारी है।
- xvii. पहले घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी ज़्यादा था। यदि ऐसे ज़्यादा क्षमता उपयोग पर ध्यान दिया जाए, तो यह देखा जा सकता है कि माँग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए भी आयात ज़्यादा है, जिसकी गणना ऐसे वास्तविक क्षमता उपयोग के आधार पर होने वाले उत्पादन के आधार पर की जाती है।
- xviii. जहाँ भारतीय उद्योग में माँग के बड़े हिस्से को पूरा करने की क्षमता है, परंतु संबद्ध आयात की भारत के बाज़ार में प्रमुख हिस्सेदारी है।
- xix. घरेलू उद्योग ने नुकसान में बेचकर अपनी बाजार हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाई, फिर भी क्षति की अवधि में भारतीय उद्योग की कुल बाजार हिस्सेदारी कम हो गई।
- xx. घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों के उत्पादन और बाज़ार हिस्सेदारी के संबंध में अपने पास उपलब्ध सूचना उपलब्ध करा दी है।
- xxi. माँग में कमी के अनुरूप आयात में कमी नहीं आई।
- xxii. भले ही देश में माँग भारतीय उद्योग की क्षमताओं से अधिक है, फिर भी घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं से कम स्तर पर काम किया है।
- xxiii. यहाँ तक कि वर्तमान में भी प्रयोक्ता एक ही स्रोत से आयात नहीं कर रहे हैं। उत्पाद के 50 से ज़्यादा निर्यातक हैं, जिनमें से ज़्यादातर आयातक एक से ज़्यादा निर्यातकों से आयात करते हैं।
- xxiv. घरेलू उद्योग के पास कम बाजार हिस्सेदारी को देखते हुए, प्राप्त करने योग्य बाजार हिस्सेदारी के विपरीत, माँग-आपूर्ति के अंतर को आयात पर निर्भरता का कारण नहीं माना जा सकता है।
- xxv. हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि आयात की बाजार हिस्सेदारी कम हुई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। आयात का भारतीय बाजार में दबदबा बना हुआ है।
- xxvi. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में माल-सूची में कमी आई है, परंतु आधार वर्ष की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, लाभ पर बेचते समय, घरेलू उद्योग के पास जाँच की अवधि की तुलना में उपलब्ध माल कम था।
- xxvii. घरेलू उद्योग को अपने पास उपलब्ध माल को बेचने के लिए परिवर्तनीय लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- xxviii. घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन एवं मजदूरी के संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।
- xxix. वेतन में गिरावट घरेलू उद्योग के कर्मचारियों पर पड़ने वाले बोझ को दिखाती है। हालांकि, यह कंपनी के समग्र प्रचालन और देश की अर्थव्यवस्था जैसे कई घटकों से भी निर्धारित होता है।
- xxx. वर्ष 2021-22 के बाद, घरेलू उद्योग की लाभकारिता में क्षति की अवधि में भारी नुकसान के कारण 1543% तक तेज़ी से गिरावट आई। नकद लाभ में भी कमी आई है।
- xxxii. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभकारी था, जिससे पता चलता है कि बाद में कोई भी गिरावट आयात की कीमत में कमी के कारण है।
- xxxiii. लागत बढ़ने और आयात की कीमत न बढ़ने की वजह से घरेलू उद्योग को दूसरे वर्ष नुकसान हुआ। लागत में इस तरह की बढ़ोतरी का असर आयात की ज़्यादा कीमतों के रूप में भी दिखना चाहिए था।
- xxxiiii. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 में कम आय अर्जित की। वर्ष 2022-23 के बाद, जिसमें जाँच की अवधि भी शामिल है, उसे नकारात्मक आय प्राप्त हुई।
- xxxv. चूंकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम है, इसलिए उसे अपनी परिवर्तनीय लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे प्रत्येक इकाई की बिक्री पर नुकसान हो रहा है।
- xxxvi. शुल्क लगाने से उचित लाभ बहाल होगा, जिससे घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर सकेगा।
- xxxvii. वर्ष 2022-23 से घरेलू उद्योग का नकारात्मक पीवीआईटी दिखाता है कि घरेलू उद्योग पूँजीगत निवेश नहीं जुटा पा रहा है और अपने कर्ज़ चुकाने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पा रहा है।

- xxxvii. प्राधिकारी के लिए उल्लेखनीय क्षति होने का निष्कर्ष निकालने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि सभी मापदंडों में गिरावट दिखे, जैसा कि पाकिस्तान – बीओपीपी में कहा गया है। मौजूदा मामले में, घरेलू उद्योग ने लाभकारिता में कमी की कीमत पर बिक्री बढ़ाई है।
- xxxviii. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि घरेलू उद्योग को किसी अकुशलता का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण आवेदक को क्षति हुई है।
- xxxix. यह देखते हुए कि भारत में ज्यादातर बाजार हिस्सेदारी आयातकों के पास है, घरेलू उद्योग को कीमत तय करने वाला नहीं माना जा सकता, जैसा कि घरेलू उद्योग का दावा है। अगर घरेलू उद्योग कीमतें तय कर रहा होता, तो वह सामान नुकसान में और परिवर्तनीय लागत से कम पर नहीं बेचता।
- xl. यहाँ तक कि घरेलू उद्योग की ब्याज, मूल्यहास, कर और परिशोधन से पहले की आय (ईबीआईडीए) भी क्षति की अवधि में कम हुई है, और जाँच की अवधि में नकारात्मक है। इसलिए, यह क्षति मूल्यहास या ब्याज की लागत की वजह से नहीं मानी जा सकती है।
- xli. मूल्यहास में बढ़ोतरी इस वजह से हुई है कि घरेलू उद्योग ने संयंत्र में उपयोग होने वाली कुछ निर्धारित परिसंपत्तियों में निवेश किया, जिसके साथ क्षमता नहीं बढ़ाई गई। इससे मूल्यहास में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, कुछ वर्षों में निर्यात बिक्री के लिए लागत का ज़्यादा आवंटन होने की वजह से, मूल्यहास लागत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- xlii. कुल लागत के मुकाबले ब्याज और मूल्यहास की लागत नगण्य है, जबकि घरेलू उद्योग को काफी क्षति हुई है।
- xliii. निवेशकों के निर्णय पर भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ़ संबद्ध वस्तुओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी उत्पादों के लिए कंपनी के समग्र प्रदर्शन से संबंधित होते हैं।
- xliv. घरेलू उद्योग विभिन्न डार्ई इंटरमीडिएट्स के उत्पादन से जुड़ी हुई है, जिनमें संबद्ध वस्तुओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। इसके अलावा, संबंधित अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं को बेसिक रसायनों के तौर पर वर्गीकृत किया गया था, न कि डार्ई इंटरमीडिएट्स के तौर पर। डार्ई इंटरमीडिएट्स के बारे में अर्निंग्स कॉल में दिए गए कथनों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
- xliv. माँग में कमी का असर घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों, दोनों पर समान रूप से होता है। लेकिन, इसे पाटन का उचित कारण नहीं माना जा सकता।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

45. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जिनसे "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, बिक्री से निवल प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।
46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और जवाबी तर्कों की जाँच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए विश्लेषण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई अलग-अलग दलीलों को ध्यान में रखा गया है।
47. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में सुधार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग ने जवाब दिया है कि सिर्फ़ कुछ मापदंडों में सुधार का मतलब यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है, खासकर तब जब अन्य मापदंडों में काफ़ी गिरावट आई हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी मापदंडों का समग्र आकलन करने और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचने की ज़रूरत है। समग्र आकलन के आधार पर, यदि प्राधिकारी को लगता है कि आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है, तो कुछ मापदंडों में सुधार के कारण ऐसे निष्कर्षों को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर, अगर सभी मापदंडों की जाँच से पता चलता है कि क्षति नहीं हुई है, तो कुछ मापदंडों में गिरावट को नुकसान नहीं माना जा सकता।
48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के शामिल न लेने संभवतः यह दर्शाता है कि नुकसान उद्योगव्यापी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादन में "एक बड़ी हिस्सेदारी" रखता है और इस तरह, कानून के तहत इसे घरेलू उद्योग माना जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी या घरेलू उद्योग किसी पक्षकार को जाँच में हिस्सा लेने के

लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा संबंधित घरेलू उद्योग के लिए क्षति का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। यह ईसी- बेड लिनन में डब्ल्यूटीओ पैनल की टिप्पणियों के अनुसार भी है।

49. हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात को क्षति की जाँच से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और अनुलग्नक-II के प्रावधानों के तहत प्राधिकारी द्वारा पाटित आयात के संबंध में क्षति की जाँच की जानी अपेक्षित है। ऐसे आयात में आवेदक द्वारा किए गए आयात भी शामिल होंगे।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. माँग का आकलन (स्पष्ट खपत)

50. प्राधिकारी ने, इस जाँच के उद्देश्य से, भारत में उत्पाद की माँग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के जोड़ के तौर पर परिभाषित किया है। इस तरह से आकलित की गई माँग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	20,529	16,824	16,579	13,780
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	102	138
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	46	30
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	20	94
कैप्टिव खपत के अतिरिक्त माँग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	77	67
कैप्टिव खपत सहित माँग	एमटी	26,459	19,447	20,301	17,690

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग में गिरावट आई है। यह भी नोट किया गया है कि जहाँ माँग में गिरावट आई है, वहीं संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है।
52. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के शामिल न होने पर बाजार हिस्सेदारी को सत्यापित नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक को जाँच शुरू करने के उद्देश्य से उसके पास मौजूद जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, अपने जवाब में, घरेलू उद्योग ने ईस्टर्न नैफ्था केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से उत्पादन और क्षमता के विवरण सहित लिखित पत्र जमा किया। यह विवरण उस उत्पादक के उत्पादन में भारी गिरावट दिखाता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि कोई अन्य जानकारी उपलब्ध थी, जो आवेदक को देनी चाहिए थी। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने जाँच शुरू की और सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। अन्य घरेलू उत्पादक भी अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करके जाँच में हिस्सा ले सकते थे। हालांकि, अन्य घरेलू उत्पादकों ने जाँच में हिस्सा न लेने का विकल्प चुना है। हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य जानकारी भी नहीं दी है जिस पर प्राधिकारी भरोसा कर सके, या कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे पता चले कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी भरोसे लायक नहीं थी। ऐसा न होने पर, प्राधिकारी ने जाँच के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी को आधार बनाया है।

ii. निरपेक्ष और तुलनात्मक रूप से आयात

53. पाटित आयात की मात्रा के बारे में, इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयात में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। क्षति की अवधि में आयात की मात्रा निम्नानुसार थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
संबद्ध आयात	एमटी	20,529	16,824	16,579	13,780
माँग	एमटी	26,459	19,447	20,301	17,690
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	130	150
भारतीय उत्पादन	एमटी	7,120	3,390	4,200	4,794
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	210	170	149

की तुलना में आयात					
खपत	%	78%	87%	82%	78%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	95	100
उत्पादन	%	288%	496%	395%	287%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	73	100
कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा में कमी आई है। हालांकि यह कुछ हद तक माँग में कमी की वजह से है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जहाँ माँग में कमी आई है, वहीं संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी बड़ी है।
- आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में वृद्धि हुई।
- भारत में खपत का 78% हिस्सा आयात का है, जो दिखाता है कि भारतीय बाज़ार में आयात का बड़ा हिस्सा है।
- संबद्ध आयात भारत में होने वाले आयातों का संपूर्ण हिस्सा है।

छ.3.1 कीमत प्रभाव

55. संबद्ध देशों से आयात के कीमत पर प्रभाव के बारे में, यह विश्लेषण करना ज़रूरी है कि क्या पाटित आयात से भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय कटौती हुई है, या ऐसे आयात का असर कीमतों को कम करना या कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य तरीके से होता। संबद्ध देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले असर की जाँच कीमत में कटौती, कीमत में गिरावट और कीमत में न्यूनीकरण, अगर कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

i. कीमत कटौती

56. कीमत कटौती विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की निवल प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयात की पहुँच कीमत से की गई है। तालिका नीचे दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुँच कीमत	₹/एमटी	1,53,471
कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	श्रेणी	0-10%

57. यह देखा गया है कि आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में मामूली कटौती हो रही है।

ii. कीमत हास/न्यूनीकरण

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत को उल्लेखनीय सीमा तक दबाना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में हुए परिवर्तनों की जाँच की है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	116	114
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	80	79
पहुँच कीमत	₹/एमटी	1,94,189	1,90,731	1,56,142	1,53,471
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	80	79

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है। हालांकि, कम पहुँच कीमत की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम हुई है। क्षति की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत 14% बढ़ी है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयात की पहुँच पहुँच कीमत 21% कम हुई है। वर्ष 2022-23 को छोड़कर, घरेलू उद्योग की आयात कीमत और सेलिंग कीमत एक-दूसरे के अनुरूप घटी-बढ़ी हैं। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इस तरह, संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

60. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार, क्षति का पता लगाने में पाटित आयात के कारण संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। इन आयातों के कारण संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संबंधित आर्थिक कारकों और सूचकांकों का निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर असर डालने वाले कारक, नकद प्रवाह, माल-सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। इसलिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जाँच की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

61. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	75	109
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	75	109
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	102	138
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	20	94
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	46	59

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ा है। हालांकि, घरेलू उद्योग के सामने अभी भी उत्पादन क्षमता के कम उपयोग की समस्या है।
63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2022-23 में उत्पाद की माँग तेज़ी से गिरी। माँग में कमी और आयात के दबदबे को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद अपनी कीमतें कम कर दीं। जब घरेलू उद्योग ने कीमतें कम कीं, तब भी संबद्ध आयात उल्लेखनीय बने रहे और वास्तव में भारत में माँग की तुलना में संबद्ध आयात का हिस्सा बढ़ गया। उसके बाद उत्पाद की माँग काफ़ी स्थिर रही और घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमतें देकर अपनी घरेलू बिक्री और परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता का उपयोग बढ़ाने में सफल रहा। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री वर्ष 2022-23 में तेज़ी से गिरी और उसके बाद जाँच की अवधि तक बढ़ी। जब जाँच की अवधि में बिक्री आधार वर्ष से ज़्यादा थी, तब भी घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम थी और उसे उत्पादन क्षमता के बेहद कम उपयोग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
64. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट आई और घरेलू उद्योग के पास बाजार में देने के लिए ज़्यादा सामान था। घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत, क्षमता और उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है और इसलिए यह कम व्यापारिक बिक्री मात्रा का कारण नहीं है।

ii. माँग में बाजार हिस्सेदारी

65. उक्त अवधि में संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी।

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	122	200
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	61	45
समग्र रूप से भारतीय उद्योग	सूचीबद्ध	22%	13%	61	22%
संबद्ध आयात	%	78%	87%	82%	78%

66. यह देखा गया है कि पाटित आयात का भारतीय बाज़ार में बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में, जब उत्पाद की माँग कम हुई, तो संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। यहाँ तक कि जब आयात की बाजार हिस्सेदारी कम हुई, तो यह घरेलू उद्योग द्वारा ज़्यादा मात्रा बेचने की कोशिशों की वजह से हुआ। इसके अलावा, जाँच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि की शुरुआत की तुलना में ज़्यादा है और भारतीय बाज़ार में इसका बड़ा हिस्सा बना रहा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2022-23 में जब उत्पाद की माँग कम हुई, तो घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सेदारी खो दी। इसके बाद, घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। हालाँकि, घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग नहीं की गई उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धी कीमतें पेश करने के बावजूद घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी कम स्तर पर बनी रही। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक और पूरे भारतीय उद्योग ने क्षति की अवधि में बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

67. घरेलू उद्योग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह बहुत बड़े बाजार की ज़रूरतें पूरी कर सकता था, लेकिन उसे बहुत छोटी बाजार हिस्सेदारी तक ही सीमित कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत कुल माँग के 86% के बहुत बड़े हिस्से को पूरा करने में सक्षम है। हालाँकि, इसकी तुलना में, पूरे उद्योग का हिस्सा 22% है, जबकि संबद्ध आयात का हिस्सा 78% है। अगर पहले घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए क्षमता उपयोग पर भी विचार किया जाए, तो भी भारतीय उद्योग बड़े हिस्से को पूरा कर सकता था। हालाँकि, संबद्ध आयात द्वारा उसे छोटी हिस्सेदारी तक सीमित कर दिया गया है।

iii. माल-सूची

68. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल-सूची निम्नानुसार थी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
प्रारंभ में माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
समापन के समय माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	191	114

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन कम होने के बावजूद वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल की मात्रा बढ़ी। उसके बाद, जाँच की अवधि की शुरुआत तक माल-सूची में गिरावट आई, लेकिन जाँच की अवधि के अंत में यह फिर से बढ़ गई। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस उपलब्ध माल का निपटान करने के लिए घाटे में बेचा है।

iv. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

70. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से जुड़ी जानकारी की जाँच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	90	106
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	68	92
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	83	103

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता बढ़ी है। हालांकि, घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में कमी आई है। घरेलू उद्योग ने इस वजह से किसी भी क्षति का दावा नहीं किया है।

v. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

72. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	116	114
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	80	79
लाभ/हानि	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-1,584	-1,498	-1,443
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-733	-1,654	-2,173
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-394	-901	-1,205
नकद लाभ	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-876	-840	-824
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-662	-1,179	-1,430

73. यह नोट किया गया है कि:

- घरेलू उद्योग को आधार वर्ष को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि में नुकसान हुआ है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तुलना में जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग का नुकसान काफी बढ़ गया है।
- घरेलू उद्योग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि आयात से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे संबद्ध वस्तुओं को उनकी परिवर्तनीय लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में भारी नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।

74. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि यह नुकसान बढ़ी हुई ब्याज और मूल्यह्रास लागत की वजह से हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्याज और मूल्यह्रास से पहले की आय, ईबीआईडीटीए, भी नकारात्मक है, और क्षति की अवधि में इसमें गिरावट आई है। इसलिए, ब्याज और मूल्यह्रास खर्च से पहले ही घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। ऐसे में, उन्हें हुए नुकसान को ब्याज और मूल्यह्रास लागत की वजह से नहीं माना जा सकता।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
ईबीआईडीटीए	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	-296	-695	-911

75. हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि मूल्यह्रास लागत में बढ़ोतरी नए निवेश को दिखाती है, जो क्षति के दावे के विपरीत है। यह नोट किया जाता है कि किसी व्यवसाय में प्रत्येक पूंजीगत संवर्धन का मतलब ज़रूरी नहीं कि क्षमता संवर्धन हो। एक सामान्य व्यावसायिक स्थिति में, एक उत्पादक को कुछ संयंत्रों और मशीनरी को बदलने, या सहायक निर्धारित परिसंपत्तियाँ खरीदने की ज़रूरत हो सकती है, जिससे क्षमता संवर्धन नहीं होता है। घरेलू उद्योग के निर्धारित परिसंपत्ति विवरण और दावा की गई मूल्यह्रास लागत को सत्यापित किया गया है। प्राधिकारी ने इस संदर्भ में सत्यापित जानकारी को आधार बनाया है।

vi. वृद्धि

76. मात्रा और लाभकारिता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
उत्पादन	%	-	-44%	34%	45%
घरेलू बिक्री	%	-	-57%	138%	36%
लाभ/हानि	%	-	-833%	-126%	-31%
नकद लाभ	%	-	-494%	-129%	-34%
नियोजित पूँजी पर आय	%	-	-762%	-78%	-21%

77. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों ने क्षति की अवधि में सकारात्मक ग्रोथ दिखाई है। हालांकि, घरेलू उद्योग के लाभकारिता मापदंडों ने पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक ग्रोथ दिखाई है।

vii. पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का लाभ काफी कम हो गया है और जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग को काफी नुकसान और नकद घाटा हुआ है। घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए ही नकारात्मक है। इस तरह, आयात ने घरेलू उद्योग के पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

viii. पाटन मार्जिन की मात्रा

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से भारत में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

ix. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार में ज्यादातर हिस्सा आयात का है। हितबद्ध पक्षकारों के दावों के उलट, घरेलू उद्योग का बाजार में इतना बड़ा हिस्सा नहीं है कि वह कीमत निर्धारक बन सके। आयात का बाजार में 75% से ज्यादा हिस्सा है, और ये बाजार में कीमतें तय कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने उत्पाद की आपूर्ति संबद्ध आयात के बराबर कीमतों पर की है। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी यह भी दिखाती है कि घरेलू उद्योग लागत में बढ़ोतरी के जवाब में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पाया है। बल्कि, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है। इसे देखते हुए, यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाला है।

ज. कारणात्मक संपर्क

गैर-आरोपण विश्लेषण

81. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित किए गए आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी ने जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए नियमों के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

82. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश के अलावा, भारत में कोई आयात नहीं होता है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का कारण दूसरे देशों से आयात नहीं हो सकता।

ख. माँग में संकुचन

83. हालांकि क्षति की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग में कमी आई है, लेकिन भारत में माँग क्षमता से ज्यादा बनी हुई है। घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है क्योंकि संबद्ध आयात की माँग में ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी कम है। बाजार में मौजूद अच्छी-खासी माँग को देखते हुए, प्राधिकारी को नहीं लगता कि माँग में कमी के कारण उद्योग को नुकसान हुआ है।

ग. खपत की पद्धति

84. खपत के पैटर्न में कोई ऐसा बदलाव नहीं पाया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता हो। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के लिए खपत के पैटर्न में बदलाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

85. ऐसी कोई भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

86. जाँच में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई बदलाव सामने नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग के पास मौजूद प्रौद्योगिकी पुरानी होने के कारण अनुपयोगी हो सकती हो। इसे देखते हुए, प्राधिकारी को नहीं लगता कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का कारण प्रौद्योगिकी में विकास हो सकता है।

च. उत्पादकता

87. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ी है। इसलिए, नुकसान उत्पादकता में गिरावट की वजह से नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

88. ऊपर जाँची गई क्षति की जानकारी सिर्फ घरेलू उद्योग के घरेलू बाज़ार के हिसाब से उसके प्रदर्शन से जुड़ी है। इसलिए, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन की वजह से नहीं माना जा सकता।

89. जहाँ तक इस अनुरोध का सवाल है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत उसकी घरेलू बिक्री कीमत से ज़्यादा रही है। ऐसे में, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को उसके निर्यात प्रदर्शन की वजह से नुकसान हुआ है।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

90. क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही सूचना अलग की है और उपलब्ध कराई है।

झ. स्वयं के आयातों के कारण क्षति

91. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को अपने स्वयं के आयात की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि, प्राधिकारी ने इस मामले की जाँच की और पाया कि भारत में संबद्ध आयात की तुलना में घरेलू उद्योग का आयात न के बराबर है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के अपने उत्पादन की तुलना में आयात न के बराबर है। इसलिए, घरेलू उद्योग के अपने स्वयं के आयात से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है।

ञ. घरेलू उद्योग की अप्रतिस्पर्धात्मकता

92. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग आवद्ध खपत के लिए आयात कर रहा है, यह दिखाता है कि घरेलू उद्योग वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अग्रिम प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत आयात किया है। ऐसा कार्यक्रम पक्षकारों को पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी शुल्क-मुक्त आयात करने की अनुमति देता है। यह पाया गया है कि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। यदि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के अन्य उत्पादक पाटित कीमतों पर उत्पाद को शुल्क-मुक्त आयात कर रहे हैं, और उसे निर्यात कर रहे हैं, तो घरेलू उद्योग अपनी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता, और अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। निर्यातित कच्चे माल का उपयोग घरेलू उद्योग के अप्रतिस्पर्धी होने को नहीं दिखाता, बल्कि यह सिर्फ उन सस्ती कीमतों को दिखाता है जिन पर आयातित सामग्री उपलब्ध थी।

ट. कोविड, रूस-यूक्रेन संघर्ष और इजरायल से संबंधित तनाव, और पूरे विश्व में माँग में कमी

93. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देने के लिए घरेलू उद्योग के अर्निंग्स कॉल को भी आधार बनाया है कि घरेलू उद्योग ने खुद अपने प्रदर्शन में गिरावट के लिए कोविड-19, रूस-यूक्रेन विवाद और इजरायल से जुड़े तनाव को ज़िम्मेदार ठहराया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे बयान वर्ष 2022-23 के संदर्भ में दिए गए हैं, न कि जाँच की अवधि के लिए। इसके उलट, रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की लाभकारिता वर्ष 2023-24 और जाँच की अवधि में काफी कम हो गया है। इसलिए, पक्षकारों द्वारा बताए गए कारकों को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, दिए गए बयान समग्र रूप से डाई इंटरमीडिएट्स से संबंधित हैं, जो घरेलू और निर्यात दोनों बाज़ार में बेचे जाते हैं, जबकि प्राधिकारी ने घरेलू बाज़ार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए क्षति का विश्लेषण किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए सत्यापित डेटा पर भरोसा किया है।

94. पूरे विश्व में माँग में कमी के बारे में, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि संबद्ध वस्तुओं की माँग में कमी आई है। हालांकि, माँग भारतीय क्षमता से काफी ज़्यादा बनी हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपने वॉल्यूम मापदण्डों में बढ़ोतरी देखी है। ऐसे में, घरेलू उद्योग को नुकसान माँग में किसी कमी की वजह से नहीं है।

झ. क्षति का मार्जिन

95. प्राधिकारी ने नियमों में और अनुलग्नक III में बताए गए यथासंशोधित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत तय की है। जाँच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से जुड़ी सत्यापित जानकारी/डेटा को आधार बना कर संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहआईटी कीमत तय की गई है। क्षति के मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत तय करने के लिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, यूटिलिटीज और उत्पादन क्षमता के सबसे अच्छे उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असामान्य या गैर-आवृत्ति खर्च नहीं वसूला गया है। नियमों के

अनुलग्नक III में बताए गए अनुसार, क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूँजी (यानी, औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों और औसत कार्यशील पूँजी) पर एक उचित प्रतिफल (कर पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका पालन किया जा रहा है।

96. कोऑपरेटिव निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत निर्यातकों द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर तय की गई है।
97. संबद्ध देश के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
98. ऊपर निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पहुँच कीमत	क्षति का मार्जिन	क्षति का मार्जिन	क्षति का मार्जिन
		(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(अमेरिकी डॉलर/ एमटी)	(%)	(श्रेणी)
1.	इनर मंगोलिया बुहाई यडोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2.	सनशाइन ग्रुप	***	***	***	***	10-20
क.	जिनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***
ख.	शडोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***
3.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- घरेलू उद्योग की क्षमता देश की माँग पूरी करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए माँग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए आयात पर निर्भरता होती है। कई प्रयोक्ता आयात पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वे एक ही स्रोत पसंद करते हैं।
 - माँग-आपूर्ति के अंतर को निर्धारित करने के लिए, भारतीय माँग की तुलना अप्रमाणित भारतीय क्षमता से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि घरेलू उद्योग के उत्पादन या क्षमता से की जानी चाहिए।
 - आवेदक ने शुल्क का जो असर बताया है वह सिर्फ़ डार्ड सेक्टर पर है और बाकी सभी सेक्टरों को नज़रअंदाज़ किया गया है, जो एक भ्रामक तस्वीर दिखाता है। कल्पसूत्र पर इसका असर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद कुल लागत का 50% से ज़्यादा है।
 - विचाराधीन उत्पाद कुछ प्रयोक्ताओं के लिए एक ज़रूरी इनपुट है, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और उनके हित प्रभावित होंगे। डाउनस्ट्रीम बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण प्रयोक्ताओं के पास लागत में बढ़ोतरी को आगे पास करने की सीमित क्षमता है।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाने से आपूर्ति में कमी आएगी, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आएगी, और कच्चे माल की लागत बढ़ेगी, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगे।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाने से वैश्विक बाजार में डाउनस्ट्रीम उत्पाद कम आकर्षक हो जाएगा।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग के ग्राहकों को दूसरा सामान ढूँढने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे उनके उत्पाद की माँग कम हो जाएगी।

- viii. यह उत्पाद दवा उद्योग में उपयोग होने वाला एक ज़रूरी इनपुट है। डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में बीटा नैफथॉल की लागत 35-40% है।
- ix. शुल्क लगाने से दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा सेक्टर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और एपीआई तथा केएसएम को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- x. डॉ. रेड्डी नेप्रोक्सन बनाने के लिए बीटा नैफथॉल का उपयोग करते हैं, जिसे कभी भारत और दुनिया भर के बाजारों में बेचने के लिए ज़रूरी चीज़ों की सूची में शामिल किया गया था।
- xi. विचाराधीन उत्पाद की कीमत बढ़ाने से भारतीय दवा और कृषि-रासायनिक उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और इस तरह, विदेशी कमाई कम हो जाएगी।
- xii. निर्यातक पहले से ही अमेरिका में निषेधात्मक शुल्क का सामना कर रहे हैं, और शुल्क लगाने से निर्यात बनाए रखने की उनकी क्षमता और कमज़ोर हो जाएगी।
- xiii. प्रयोक्ता ने अपनी प्रश्नावली के जवाब में जो प्रभाव विश्लेषण दिया है, उससे डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है।
- xiv. घरेलू उद्योग के पास डॉ. रेड्डी की माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और उसे उत्पाद को आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आपूर्ति में कमी आएगी।
- xvi. यह दावा कि घरेलू उद्योग को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है क्योंकि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है।
- xvii. यह बात कि दो उत्पादक जो छोटे/माध्यम स्तर के उत्पादक हैं, उन्होंने इस आवेदन का समर्थन नहीं किया है, यह दिखाता है कि घरेलू उद्योग, जो एक बड़े स्तर की बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन है, अनुचित सुरक्षा माँग रहा है।
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा अनियमित कैप्टिव खपत के कारण विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति को विश्वसनीय नहीं रहती, जिससे डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के लिए योजना और प्रचालन में रुकावट आती है।
- xix. प्राधिकारी से अनुरोध है कि दवा उद्योग को पाटनरोधी शुल्क से छूट दी जाए, क्योंकि भारत में अन्य उद्योगों की तुलना में दवा सेक्टर बीटा नैफथॉल के कुल घरेलू उत्पादन का बहुत कम हिस्सा ही उपयोग करता है।
- xx. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग लंबे समय के करारों और निवेश के निर्णय नहीं ले पाएँगे। इससे प्रौद्योगिकी का उपयोग धीमा हो सकता है, उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों में ज़रूरी अलग-अलग विशिष्टता तक पहुँच कम हो सकती है, और भारत में डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन हतोत्साहित हो सकता है।
- xxi. घरेलू उद्योग का यह कहना कि चीन के उत्पादकों को सरकारी मदद मिलती है, प्रमाणों से समर्थित नहीं है।

ब.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

100. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- भारत और चीन के अलावा, दुनिया भर में संबद्ध वस्तुओं के कोई और उत्पादक नहीं हैं। अगर भारत में उत्पादन बंद हो जाता है, तो भारत और बाकी दुनिया पूरी तरह से चीन से आयात पर निर्भर हो जाएगी, जिससे चीन कीमतें बढ़ा सकेगा और उचित बाजार की स्थितियों को बाधित कर सकेगा।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाना ज़रूरी है ताकि भारतीय बाजार में सबको बराबर मौका मिले, समान वस्तुओं का घरेलू उत्पादन व्यवहार्य हो सके, और भारत को उत्पाद के लिए सिर्फ आयात पर निर्भर होने से रोका जा सके।
 - यह ग्राहकों के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो जो सही कीमत वाले आयात के साथ-साथ उत्पाद की आपूर्ति कर सके। यदि ग्राहक पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा माल-सूची लेवल बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जबकि घरेलू सोर्सिंग से कम माल-सूची की ज़रूरत होती है।
 - भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना ज़रूरी है, और इससे रोज़गार बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी।
 - विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग उद्योगों में रासायनिक इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए मुख्य कच्चा माल नहीं है। इसकी लागत कुल उत्पादन लागत का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावित शुल्क से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर बहुत कम प्रभाव होगा।
 - अलग-अलग उत्पादों के लिए प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव 1% से कम होगा।
 - घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के बड़े सेक्टर, यानी दवा और डार्क उद्योग, जो दोनों माँग का बड़ा हिस्सा हैं, पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया है। अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योग, जैसे कि खुशबू उद्योग, भारत में कुल माँग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं।
 - प्रयोक्ता, कल्पसूत्र ने बिना कोई बैकअप प्रस्तुत किए 50% के प्रभाव का दावा किया है। उन्हें दावे को साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

- ix. डीआरएल ने खुद माना है कि दवा उद्योग बीटा नेफ्थॉल के कुल घरेलू उत्पादन का सिर्फ एक छोटा से हिस्से का विनिर्माण करता है, और इसलिए, इसके उत्पाद पर पड़ने वाला प्रभाव संभवतः आम लोगों पर न हो।
- x. घरेलू उद्योग ने डीआरएल द्वारा उत्पादित उत्पाद पर शुल्क के प्रभाव को 0.63% आंका है।
- xi. डीआरएल ने अपने आकलित किए गए प्रभाव का गैर-गोपनीय संस्करण हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर नहीं किया है।
- xii. क्योंकि ज्यादातर आयात अग्रिम प्रमाणीकरण के तहत हैं, इसलिए शुल्क लगने के बाद भी ऐसे आयात जारी रह सकते हैं। इसलिए, शुल्क से निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- xiii. यदि नुकसान जारी रहा, तो इससे घरेलू उद्योग के प्रचालन की व्यवहार्यता प्रभावित होगी, और घरेलू उद्योग को प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- xiv. शुल्क न लगाने से बाजार पर चीन के उत्पादकों का एकाधिकार हो जाएगा, जो बेहतर कीमत मिलने पर उत्पाद को दूसरे बाजार में भेज सकते हैं।
- xv. चूंकि घरेलू उद्योग केवल उचित कीमतों की पुनर्स्थापना चाह रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग को कोई अनुचित उपाय प्राप्त नहीं होगा।
- xvi. माँग-आपूर्ति में अंतर होना पाटन के लिए सही नहीं है। प्राधिकारी के अलग-अलग निष्कर्षों और न्यायालयों के निर्णयों से इसका समाधान कर लिया गया है।
- xvii. जहाँ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने असत्यापित जानकारी प्रदान की है, हितबद्ध पक्षकारों ने कोई जानकारी ही नहीं दी है।
- xviii. यह माँग करने का कोई आधार नहीं है कि माँग-आपूर्ति अंतर के निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता को बाहर रखा जाए।
- xix. ईस्टर्न नैफ्था केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की क्षमता के बारे में जानकारी उत्पादक से ही मिली है, और पत्राचार साथ में दिया गया है। मल्टी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए दावा की गई क्षमता उनकी वेबसाइट पर मौजूद पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण-पत्र में बताई गई क्षमता के अनुरूप है।
- xx. संबद्ध वस्तुओं के कम कीमत वाले आयात से विदेशी मुद्रा का बेवजह आउटफ्लो हुआ है, जाँच की अवधि के दौरान भारतीय बाजार में 84% आयात हुआ। शुल्क लगाने से घरेलू वस्तुओं को प्राथमिकता मिलेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, विशेष रूप से क्योंकि आवेदक देसी कच्चे माल पर निर्भर करता है।
- xxi. शुल्क लगाना सरकार के 'मेक इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के अनुरूप होगा।
- xxii. हालांकि भारत में माँग-आपूर्ति का अंतर है, घरेलू उद्योग घाटे में है, उद्योग की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और ज्यादातर माँग आयात से पूरी होती है। इस स्थिति में, आगे निवेश की संभावना कम है और यह नए निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं है। नई क्षमता जोड़ने के लिए ₹30-40 करोड़ के निवेश की ज़रूरत है, जो अभी संभव नहीं है।
- xxiii. आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की कमी है, जो मौजूदा घरेलू स्रोतों को बचाने की ज़रूरत को दिखाता है।
- xxiv. चीन के उत्पादकों को सरकार से काफी समर्थन मिल रहा है, जिससे वे कम कीमतों पर निर्यात कर पा रहे हैं।
- xxv. प्रयोक्ता चाहते हैं कि घरेलू उद्योग अनुचित आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहे, ताकि उन्हें उचित आयात के साथ प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। चूंकि पाटनरोधी शुल्क पाटन के मार्जिन तक ही सीमित है, इसलिए शुल्क लगने के बाद प्रयोक्ता, ज्यादा से ज्यादा, वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के बराबर हो जाएंगे। अगर प्रयोक्ता ऐसी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से कोई कमी है।
- xxvi. सिर्फ एक प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रभावली का प्रत्युत्तर दिया है, जिसमें उसने कहा है कि उत्पाद का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी मामले में, क्योंकि शुल्क का असर बहुत कम है, इसलिए प्रयोक्ताओं के पास दूसरे उत्पाद ढूँढने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है।
- xxvii. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के उलट, देश में बने कच्चे माल की कमी से, घरेलू एपीआई और केएसएम को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य कमज़ोर पड़ जाएगा।
- xxviii. आपूर्ति की कमी की चिंताएँ बेबुनियाद हैं, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद भी आयातक सही कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात करना जारी रख सकते हैं।
- xxix. डीआरएल का लाभ बढ़ा है, और उसने ₹ *** करोड़ का लाभ कमाया है, जबकि घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। दवा उद्योग को छूट देने का कोई मामला नहीं बनता।
- xxx. कुल उत्पादन में कैप्टिव खपत का हिस्सा बहुत कम है। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग के पास उपयोग नहीं की गई उल्लेखनीय क्षमता है, यह नहीं माना जा सकता कि प्रयोक्ता कैप्टिव खपत की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का मुख्य उद्देश्य पाटन की गलत व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयात कम करना नहीं है, बल्कि यह सबको बराबरी का अवसर देने की एक व्यवस्था है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बरकरार रहे। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन के तरीकों से अनुचित लाभ को रोकने में मदद मिलती है। इस तरह, पाटनरोधी शुल्क उचित-व्यापार पद्धतियों में रुकावट नहीं है बल्कि उन्हें आसान बनाता है।

102. प्राधिकारी ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, प्रयोक्ताओं और ग्राहकों समेत सभी हितबद्ध पक्षकारों से राय मांगी गई। एक आर्थिक हित प्रभावली भी निर्धारित की गई थी ताकि घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/ग्राहकों समेत विभिन्न हितधारक अपने प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित मौजूदा जाँच से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दे सकें।
103. भारत में माँग-आपूर्ति अंतर होने के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमता के काफी कम उपयोग की समस्या से जूझ रहा है। किसी भी मामले में, माँग-आपूर्ति अंतर भारत में पाटन का औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के प्रत्युत्तर के आधार पर पाटन का मार्जिन तय किया है। पाटन का मार्जिन सकारात्मक है। इसके अलावा, भारत में माँग-आपूर्ति अंतर घरेलू उद्योग को देश में उत्पाद के ऐसे पाटन के विरुद्ध शिकायत करने से नहीं रोकता है।
104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माँग-आपूर्ति अंतर का निर्धारण देश में कुल माँग और कुल आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। घरेलू उद्योग ने दूसरे घरेलू उत्पादकों की क्षमता के बारे में पहले ही साक्ष्य दे दिए हैं, जो उसके पास मौजूद थे। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दिखाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई क्षमता सही नहीं थी। प्राधिकारी ने माँग-आपूर्ति अंतर का पता लगाने के लिए कुल भारतीय क्षमता को आधार बनाया है।

विवरण	इकाई	मात्रा
माँग	एमटी	17,499
भारतीय क्षमता	एमटी	15,000
माँग-आपूर्ति अंतर	एमटी	2,499
संबद्ध आयात	एमटी	13,780

105. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि माँग-आपूर्ति में अंतर होने से देश में नए निवेश की ज़रूरत है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि नई क्षमता बढ़ाने के लिए ₹30-40 करोड़ के निवेश की ज़रूरत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा हालात में, घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम रह गई है, जबकि संबद्ध आयात बाजार को नियंत्रित करते हैं। घरेलू उत्पादक अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से घरेलू उद्योग को नुकसान होता दिख रहा है। उत्पाद के लिए बाजार की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए, पाटन जारी रहने से माँग-आपूर्ति का अंतर कम नहीं होगा, बल्कि इससे आगे निवेश ही रुकेगा।
106. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद को आबद्ध रूप से उपयोग किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आबद्ध खपत उसके उत्पादन और क्षमताओं की तुलना में बहुत कम है। इसके उलट, घरेलू उद्योग को काफी कम उपयोग की गई क्षमता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	75	109
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	75	109
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	20	94
क्षमता के % के रूप में कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	20	95
उत्पादन के % के रूप में कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	27	87

107. घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्क के प्रभाव का आकलन किया है। इसे नीचे संक्षेप में बताया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि 10% के शुल्क का प्रभाव अलग-अलग उत्पादों पर 0.16% से 0.99% की रेंज में होगा। प्राधिकारी ने नोट किया है कि लगभग 10-20% के प्रस्तावित शुल्क को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई गणना के अनुसार, वास्तविक पहुँच कीमत पर प्रभाव नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	डाई की कीमत	विचाराधीन उत्पाद की पहुँच कीमत	पाटनरोधी शुल्क की स्थिति में लागत में 12% तक की वृद्धि	1 किग्रा डाई में प्रयुक्त बीटा	प्रभाव	
					₹/किग्रा	%
इकाई	₹/किग्रा	₹/किग्रा	₹/किग्रा	किग्रा/किग्रा	₹/किग्रा	%
एसिड ब्लैक 164	500	153	18.36	0.05	0.918	0.18%
डायरेक्ट रेड 239	500	153	18.36	0.3	5.508	1.10%
पिगमेंट रेड 49:1	360	153	18.36	0.23	4.2228	1.17%
रिएक्टिव ऑरेंज 84	500	153	18.36	0.17	3.1212	0.62%
मेटानिल येलो R	520	153	18.36	0.1	1.836	0.35%
एसिड रेड 88	400	153	18.36	0.25	4.59	1.15%
पिगमेंट ऑरेंज 5	680	153	18.36	0.4	7.344	1.08%
रिएक्टिव रेड 141	400	153	18.36	0.18	3.3048	0.83%

108. घरेलू उद्योग ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड (डॉ. रेड्डीज) के बनाए उत्पाद नेप्रोक्सन सोडियम पर भी शुल्क की गणना की है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि उत्पाद की अंतिम कीमत पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।

विवरण	इकाई	दवा – नेप्रोक्सन सोडियम
डाउनस्ट्रीम उत्पाद की अनुमानित कीमत	₹/किग्रा	4,000
विचाराधीन उत्पाद की लागत	₹/किग्रा	153
लागत में 12% तक की वृद्धि	₹/किग्रा	18.36
1 किग्रा नेप्रोक्सन में प्रयुक्त बीटा	किग्रा/किग्रा	1.6
प्रभाव	₹/किग्रा	29.38
प्रभाव	%	0.73%

109. दोनों प्रयोक्ताओं, कल्पसूत्र केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (कल्पसूत्र) और डॉ. रेड्डीज ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई गणना पर सवाल उठाया है। कल्पसूत्र ने दावा किया है कि उसके प्रचालनों पर शुल्क का प्रभाव 50% होगा। हालांकि, उसने अपने तर्क के समर्थन में कोई गणना नहीं दी है और न ही दावा किया गया प्रभाव तर्कसंगत लगता है। इसलिए, प्राधिकारी ने कल्पसूत्र द्वारा दावा किए गए प्रभाव पर भरोसा नहीं किया है।

110. डॉ. रेड्डीज ने अपने उत्पाद पर प्रभाव की गणना दी है। हालांकि, यह बहुत ज्यादा पहुँच कीमत और शुल्क के प्रभाव पर आधारित थी। प्राधिकारी ने जाँच की अवधि के दौरान मौजूदा पहुँच कीमत और सुझाए गए शुल्क को दर्शाने के लिए इसे संशोधित किया और समायोजित किया। शुल्क का प्रभाव नीचे दर्शाया गया है।

उत्पाद	प्रभाव	प्रभाव की रेंज
2 6 एएमएन (घरेलू स्तर पर प्रयुक्त)	***	3-4%
डीएल एसिड	***	1.5-2.5%
नेप्रोक्सन	***	1.5-2.5%
नेप्रोक्सन सोडियम	***	1-2%

111. इसलिए, यह नोट किया जाता है कि डॉ. रेड्डीज़ द्वारा प्रस्तुत गणना के अनुसार शुल्क का प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभाव 26 एएमएन पर है, जिसे प्रयोक्ता कैप्टिव रूप से उपयोग करता है। बाकी उत्पादों पर प्रभाव बहुत कम है, और उतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रयोक्ता ने दावा किया है।
112. इस तर्क के संदर्भ में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत बढ़ जाएगी, जिससे यह लाभकारी नहीं रहेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभकारिता विचाराधीन उत्पाद की पाटित कीमतों पर निर्भर नहीं हो सकती।
113. निर्यात बाजार में डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रदर्शन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद को निर्यात करने के लिए, प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना एडवांस लाइसेंस के तहत विचाराधीन उत्पाद को आयात कर सकता है। पहले से ही, अग्रिम प्रमाणीकरण के तहत काफी निर्यात किए जा रहे हैं।
114. दवा उद्योग को छूट देने के अनुरोध के संबंध में, इसके लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों के अनुसार, दवा उद्योग पर शुल्क का प्रभाव भी बहुत कम है। उद्योग काफी लाभ में है, और उचित प्रतिस्पर्धी दर पर कच्चा माल आयात कर सकता है। इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उद्योग को डाउनस्ट्रीम ग्राहकों पर कीमत में बढ़ोतरी को पास करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दवा सेक्टर का महत्व भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक वाइब्रेंट और फलते-फूलते उद्योग की ज़रूरत को ही दर्शाता है।
115. दूसरे घरेलू उत्पादकों के शामिल न होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के पास स्वयं भारतीय उत्पादन का 70% से ज़्यादा हिस्सा है। ऐसे में, अन्य घरेलू उत्पादकों के शामिल न होने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

ट. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
- आवेदक विचाराधीन माल का नियमित आयातक है और पाटनरोधी नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र नहीं है। प्राधिकरण ने यह माना है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात 5-10% की सीमा में हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण आयात आवेदक को उत्पाद का एक प्रमुख आयातक बनाते हैं और यह विश्लेषण कि उत्पादक का मुख्य ध्यान उत्पादन पर बना हुआ है, सही नहीं है।
 - घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्व-आरोपित है, क्योंकि आवेदक ने निम्न मूल्यों पर उल्लेखनीय मात्रा में आयात करके मूल्य-निर्धारक के रूप में कार्य किया है।
 - कोई मूल्य-क्षति नहीं है, क्योंकि विषयगत आयातों का अवतारित मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से अधिक था। चूँकि विषयगत आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों का अल्पविक्रय नहीं कर रहे थे, अतः ऐसे आयातों के कारण कोई मूल्य-दबाव उत्पन्न नहीं हो सकता और परिणामतः न तो मूल्य-दमन है और न ही मूल्य-अवसादन।
 - चूँकि प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया है, अतः विक्रय मूल्य में गिरावट मात्रा तथा बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की एक वाणिज्यिक रणनीति है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आवेदक का निर्यात मूल्य घरेलू विक्रय मूल्य के साथ समान प्रवृत्ति में चला है।
 - यद्यपि प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विषयगत आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, तथापि प्रकटन विवरण में उपलब्ध कराए गए आँकड़े दर्शाते हैं कि जाँच अवधि में बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में समान रही है तथा 2022-23 और 2023-24 की तुलना में घटी है।
 - इसी प्रकार, प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के विपरीत, आँकड़े दर्शाते हैं कि उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष विषयगत आयात जाँच अवधि में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से घटे तथा आधार वर्ष की तुलना में समान रहे।
 - प्राधिकरण द्वारा क्षति के संबंध में किया गया परीक्षण विरोधाभासी है और घरेलू उद्योग को क्षति प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि घरेलू उद्योग के परिमाणात्मक मानदंड, जिनमें उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोगिता और बाजार हिस्सा सम्मिलित हैं, मांग में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं।
 - कोई परिमाणात्मक क्षति नहीं है, क्योंकि चीन से आयात भारत में मांग में गिरावट की अपेक्षा अधिक तीव्र दर से घटे हैं। आयात भारत में मांग के अनुरूप चले हैं। केवल इस कारण कि विषयगत आयातों का बाजार हिस्सा बड़ा है, अपने-आप में क्षति सिद्ध नहीं होती।
 - घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग के भंडार में कमी आई है और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
 - प्राधिकरण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के अन्य कारणों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की जाँच करने में विफल रहा। घरेलू उद्योग को निम्न कारणों से क्षति हुई है— (क) भारत में मांग-आपूर्ति अंतर तथा संपूर्ण आवश्यकता के लिए एकल स्रोत से खरीद को उपयोगकर्ताओं की वरीयता, (ख) आवेदक द्वारा निम्न-मूल्य आयात, तथा (ग) व्याज-लागत में वृद्धि।

- xi. चूँकि न परिमाणात्मक प्रभाव है और न मूल्य प्रभाव, अतः विषयगत देश से विचाराधीन माल के आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारण-सम्बन्ध नहीं हो सकता।
- xii. विषयगत आयातों और क्षति के बीच कोई कारण-सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट तब भी हुई जब 2021-22 और 2022-23 में विषयगत आयातों का अवतारित मूल्य लगभग समान रहा और आयात मात्रा में गिरावट आई।
- xiii. यद्यपि प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मांग में संकुचन ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई, क्योंकि मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है। तथापि, बाजार के आकार में संकुचन होने पर उत्पादक की लाभप्रदता और मूल्य-निर्धारण निर्णय प्रभावित होते हैं, जो आयातों से असंबद्ध हैं।
- xiv. भारत में मांग-आपूर्ति अंतर तथा आयातों की आवश्यकता के संबंध में किया गया विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई अप्रमाणित क्षमता-सूचना पर भरोसा किया है। यद्यपि प्राधिकरण ने यह कहा है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, तथापि प्राधिकरण ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि उक्त क्षमता-सूचना घरेलू उद्योग द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा ही नहीं की गई थी, जिससे वे उसका प्रतिवाद कर सकें।
- xv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अधोगामी उपयोगकर्ताओं की लागत बढ़ेगी और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।
- xvi. प्राधिकरण को उन उद्योगों पर व्यापक अधोगामी प्रभाव पर विचार करना चाहिए जहाँ बीटा नैफ्थॉल एक प्रमुख निवेश सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है।
- xvii. विचाराधीन उत्पाद औषधि उद्योग में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण निवेश सामग्री है। इसका उपयोग बहु-चरणीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में किया जाता है और इस चरण पर लागत-वृद्धि से पश्चवर्ती मध्यवर्ती तथा अंतिम उत्पाद, दोनों, तथा वैश्विक स्तर पर औषधि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।
- xviii. मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व आयातों को आवश्यक बनाएगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में लागत-वृद्धि का भार वहन करें।
- xix. अग्रिम प्राधिकरण अनुज्ञप्ति के अधीन आयात कोई व्यवहार्य समाधान नहीं है, क्योंकि औषधि क्षेत्र के अंतिम उत्पाद घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बेचे जाते हैं।
- xx. प्राधिकरण को औषधि उद्योग के लिए अंतिम-उपयोग आधारित छूट प्रदान करनी चाहिए, जिसका कुल उपभोग में बहुत ही अल्प हिस्सा है।
- xxi. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह इनर मंगोलिया तथा सनशाइन समूह के लिए प्रकटन विवरण में निर्धारित व्यक्तिगत अंतर के संबंध में अंतिम निष्कर्षों की पुष्टि करे।
- xxii. पाटनरोधी शुल्क क्षति अंतर के आधार पर होना चाहिए।
- xxiii. प्राधिकरण ने प्रकटन पर टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए अपर्याप्त समय प्रदान किया, जिसके कारण पक्षकार निष्कर्षों का विश्लेषण करने और अपने हितों की रक्षा करने में बाधित हुए।
- xxiv. प्राधिकरण को या तो जाँच समाप्त कर देनी चाहिए अथवा वर्तमान प्रकटन विवरण में त्रुटियाँ सुधारते हुए नया प्रकटन जारी करना चाहिए।
- xxv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथा प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों का गैर-गोपनीय संस्करण सभी पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए और इन मुद्दों पर उत्तर देने का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

117. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के पश्चात निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:
 - i. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह घरेलू उद्योग और स्थिति, पाटन, क्षति तथा कारण-सम्बन्ध के संबंध में प्रकटन की पुष्टि करे।
 - ii. घरेलू उद्योग जाँच अवधि के पश्चात भी तात्त्विक क्षति से पीड़ित रहा है, क्योंकि विषयगत आयातों का अवतारित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से नीचे बना हुआ है।
 - iii. घरेलू उद्योग को जाँच अवधि के पश्चात हानि तथा नकद हानि दोनों हुई हैं।
 - iv. घरेलू उद्योग के भंडार में वृद्धि हुई है, जबकि उसने जाँच अवधि के पश्चात भी हानि पर विक्रय किया है।
 - v. घरेलू उद्योग की संचयी हानियों में जाँच अवधि के पश्चात उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - vi. घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकर मूल्य उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह दावा किए गए गैर-क्षतिकर मूल्य से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, गैर-क्षतिकर मूल्य का समुचित प्रकटन घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ट.3. प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

118. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन-पश्चात किए गए अभ्यावेदनों की जाँच की है और यह नोट किया है कि अनेक अभ्यावेदन पूर्व में भी किए जा चुके थे, जिनकी उपयुक्त जाँच कर अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा चुका है। वे मुद्दे जो हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा पहली बार प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों/अभ्यावेदनों में उठाए गए और जो साक्ष्य से समर्थित पाए गए, प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं; उनका परीक्षण नीचे किया गया है।

119. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग उत्पाद का नियमित आयातक है, प्राधिकरण ने संबंधित अनुभाग में पहले ही यह माना है कि आवेदक के आयात, आवेदक के उत्पादन, विषयगत आयातों तथा देश की मांग की तुलना में नगण्य हैं। अतः वर्तमान जांच में प्राधिकरण ने आवेदक को घरेलू उद्योग का गठन करने हेतु पात्र माना है। आगे यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आयात नगण्य हैं तथा केवल स्व-उपभोग के लिए किए गए हैं; अतः ऐसे आयातों ने भारत के समग्र बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं किया और इसलिए घरेलू उद्योग को मूल्य-निर्धारक नहीं माना जा सकता।
120. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि विक्रय मूल्य में गिरावट बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग का एक वाणिज्यिक निर्णय है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषयगत आयातों का अवतारित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से नीचे था। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग अपनी विक्रय लागत के अनुरूप मूल्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं था। आगे यह भी नोट किया जाता है कि 2021-22 के दौरान, जब अवतारित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से ऊपर था, घरेलू उद्योग लाभ की स्थिति में था।
121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अभ्यावेदन किया है कि विषयगत आयातों का बाजार हिस्सा नहीं बढ़ा है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि भारत में मांग में गिरावट के बावजूद बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण स्तर पर बना रहा। प्राधिकरण पहले ही यह नोट कर चुका है कि विषयगत आयातों का बाजार हिस्सा, घरेलू उद्योग द्वारा अधिक मात्रा में विक्रय करने के प्रयासों के कारण, जाँच अवधि में पिछले वर्ष तथा 2022-23 की तुलना में घटा है।
122. उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष आयातों के संबंध में किए गए अभ्यावेदन पर प्राधिकरण यह नोट करता है कि भारत में मांग में गिरावट के बावजूद विषयगत आयात जाँच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में मोटे तौर पर समान स्तर पर बने रहे।
123. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के पश्चात भी क्षति हुई है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि चूँकि वह जांच अवधि के दौरान ही क्षति का निष्कर्ष पहले ही निकाल चुका है, इसलिए जांच अवधि के पश्चात के निष्पादन से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है।
124. प्राधिकरण यह नोट करता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अभ्यावेदन किया है कि मांग-आपूर्ति अंतर का निर्धारण अप्रमाणित सूचना पर आधारित है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भारत की कुल क्षमताओं की शुद्धता के संबंध में अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उक्त आँकड़ा घरेलू उद्योग द्वारा साझा नहीं किया गया था। प्राधिकरण यह नोट करता है कि भारत की कुल क्षमता प्रकटन विवरण में साझा की गई थी; तथापि उस सूचना के प्रकटन के पश्चात भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय क्षमताओं के संबंध में कोई प्रतिकूल साध्य उपलब्ध नहीं कराया। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण ने भारतीय क्षमताओं के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।
125. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को मांग-आपूर्ति अंतर, आवेदक द्वारा निम्न-मूल्य आयात तथा व्याज-लागत में वृद्धि के कारण क्षति हुई है, प्राधिकरण उक्त मुद्दे की जाँच वर्तमान अधिसूचना के प्रासंगिक भाग में पहले ही कर चुका है।
126. प्राधिकरण यह नोट करता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अभ्यावेदन किया है कि विषयगत आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारण-सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में उस समय भी घटी जब आयात मूल्य 2021-22 के समान ही रहा। इस संबंध में प्राधिकरण यह नोट करता है कि 2021-22 में विषयगत आयातों का अवतारित मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत से ऊपर था, परंतु 2022-23 में विक्रय लागत बढ़ गई। तथापि इस अवधि में अवतारित मूल्य में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी विक्रय लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने मूल्य बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा और तदनुसार उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
127. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अभ्यावेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अधोगामी उपयोगकर्ता घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अप्रतिस्पर्धी हो जाएँगे। इस संबंध में प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषयगत आयात भारत में पाटित रूप में आ रहे हैं और इस पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है। घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उपयोगकर्ता उद्योग को पाटित आयातों तक पहुँच का अधिकार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क भारत में होने वाले सभी आयातों पर लगाए जाने की संस्तुति की जाती है; अतः भारत के सभी उपयोगकर्ताओं को विचाराधीन उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध रहेगा, जिससे भारत में किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के संबंध में, उपयोगकर्ता उद्योग अग्रिम प्राधिकरण के अधीन पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अतः निर्यात बाजार में उपयोगकर्ता उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित नहीं होगी।
128. अंतिम-उपयोग आधारित छूट के अनुरोध के संबंध में प्राधिकरण यह नोट करता है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जो वर्तमान जांच में अंतिम-उपयोग आधारित छूट को न्यायोचित ठहराए।
129. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अभ्यावेदन के संबंध में कि गैर-क्षतिकर मूल्य उपयुक्त नहीं है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि गैर-क्षतिकर मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के परिशिष्ट-III के अधीन निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
130. घरेलू उद्योग द्वारा दायर प्रत्युत्तर तथा प्रकटन पर टिप्पणियों के गैर-गोपनीय संस्करण के परिप्रसारण के अनुरोध के संबंध में प्राधिकरण यह नोट करता है कि प्राधिकरण की प्रथा के अनुसार ऐसे अभ्यावेदन प्रसारित नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त,

जिस उपयोगकर्ता उद्योग ने ऐसे अभ्यावेदन की माँग की है, उसने भी अपने प्रत्युत्तर-अभ्यावेदन तथा प्रकटन पर टिप्पणियों का परिप्रसारण नहीं किया है।

131. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन पर टिप्पणियाँ देने हेतु अपर्याप्त समय दिया गया, प्राधिकरण यह नोट करता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणियाँ दाखिल करने हेतु समान समय-सीमा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए समय-विस्तार का अनुरोध नहीं किया।

ठ. निष्कर्ष

132. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

- क विचाराधीन उत्पाद वीटा नैफ्थॉल अथवा 2-नैफ्थॉल अथवा β -नैफ्थॉल है, जिसका रासायनिक सूत्र C10H8O है।
 ख वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए किसी पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं थी।
 ग घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद के समरूप वस्तु का उत्पादन किया है।
 घ आवेदक ने जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन माल की नगण्य मात्रा का आयात किया है। अतः आयात की अल्प मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को घरेलू उद्योग का गठन करने हेतु पात्र माना गया है।
 ङ आवेदक विचाराधीन माल के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात रखता है और इस प्रकार पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग का गठन करता है।
 च वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण ने डीजी प्रणाली के आँकड़ों पर भरोसा किया है।
 छ सहयोगी उत्पादकों के लिए पाटन अंतर तथा क्षति अंतर का निर्धारण, उनके द्वारा दाखिल प्रत्युत्तरों के आधार पर, विधिवत डेस्क सत्यापन के पश्चात किया गया है।
 ज विषयगत देश से सभी उत्पादकों के लिए पाटन अंतर तथा क्षति अंतर धनात्मक और महत्वपूर्ण हैं।
 झ घरेलू उद्योग को वर्तमान जाँच अवधि के दौरान तात्त्विक क्षति हुई है।
- यद्यपि विषयगत आयात निरपेक्ष रूप में घटे हैं, तथापि भारत में उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष वे बहे हैं।
 - आयात बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्यों का अल्पविक्रय कर रहे हैं।
 - घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के प्रत्युत्तर में अपने मूल्य बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा। आयातों ने घरेलू उद्योग के मूल्यों का दमन तथा अवसादन किया है।
 - घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री में अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, बाजार में उत्पाद की मांग विद्यमान होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का पर्याप्त उपयोग नहीं किया।
 - यद्यपि उद्योग के पास देश की लगभग 86% मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी, तथापि उसका बाजार हिस्सा अल्प रहा, जबकि आयात प्रमुख स्थिति में रहे।
 - घरेलू उद्योग की हानियाँ पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं।
 - घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय नकद हानि तथा निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल हुआ है।
 - घरेलू उद्योग का ईबिड्टा उल्लेखनीय रूप से बिगड़ा है। घरेलू उद्योग ने ब्याज और अवमूल्यन का प्रावधान करने से पूर्व ही हानियाँ वहन की हैं।
 - यद्यपि घरेलू उद्योग के परिमाणमात्मक मानदंडों में वृद्धि दिखाई दी है, तथापि लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गिरावट आई है। साथ ही, परिमाणमात्मक मानदंडों में वृद्धि होने पर भी घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमता के पर्याप्त उपयोग से वंचित रहा।
 - उल्लेखनीय हानियों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
 - आयातों का मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से उल्लेखनीय रूप से नीचे है और वे घरेलू उद्योग को लागत के अनुरूप अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने से रोक रहे हैं। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं।
- ज घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक के कारण क्षति नहीं हुई है। अन्य देशों से आयात, मांग में संकुचन, उपभोग की प्रवृत्तियाँ, प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ, व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ, प्रौद्योगिकी में विकास, उत्पादकता में गिरावट, उद्योग का निर्यात निष्पादन, अन्य उत्पादों का निष्पादन, अन्य उत्पादों के कारण हुई क्षति, घरेलू उद्योग की अप्रतिस्पर्धात्मकता, तथा कोविड, रूस-यूक्रेन संघर्ष, इज़राइल से संबंधित तनाव और विश्वव्यापी मांग में गिरावट जैसे कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है।
- ट निम्नलिखित से स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना वृहत्तर लोकहित में होगा:
- शुल्क का आरोपण विदेशी उत्पादकों को पाटन-प्रथाओं के माध्यम से मिलने वाले अनुचित लाभ को रोकेंगे और भारतीय उद्योग को बाजार में समान अवसर प्रदान करेंगे।
 - यद्यपि घरेलू उद्योग देश की लगभग 86% मांग पूरी कर सकता है, तथापि देश में मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व बाजार में माल के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। इसके अतिरिक्त, आयातों की मात्रा देश के मांग-आपूर्ति अंतर से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
 - शुल्क का आरोपण उत्पाद में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक नए संयंत्र के लिए ₹30-40 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होती है।

- iv. घरेलू उद्योग तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गणनाओं के आधार पर शुल्क का प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है।
- v. उत्पाद के सभी अनुप्रयोगों हेतु आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए। औषधि उद्योग के लिए आयातों को छूट देने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है।
- vi. अधोगामी उत्पादों के निर्यात पर शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अग्रिम अनुज्ञप्ति/अग्रिम प्राधिकरण के अधीन उत्पाद का आयात पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना जारी रखा जा सकता है।

ड. सिफारिशें

133. प्राधिकरण यह नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति तथा कारण-सम्बन्ध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारण-सम्बन्ध की जाँच प्रारंभ करने और संचालित करने के पश्चात्, प्राधिकरण का मत है कि पाटन तथा उससे हुई क्षति का प्रतिकार करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकरण विषयगत देशों से विचाराधीन माल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संस्तुति करना आवश्यक मानता है।
134. प्राधिकरण द्वारा अनुसरित अल्पतर शुल्क नियम को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकरण यह संस्तुति करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने हेतु पाटन अंतर और क्षति अंतर में से जो कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। तदनुसार, प्राधिकरण यह संस्तुति करता है कि विषयगत देशों से उद्भूत अथवा उनसे निर्यातित विचाराधीन माल के आयातों पर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से, 5 वर्षों की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क-सारणी के स्तंभ (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	विवरण*	उद्भूत देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	मात्रक	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2907 15 20 तथा 2907 15 10	बीटा नैफथॉल अथवा 2-नैफथॉल अथवा β-नैफथॉल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया वुहाई यादोंग फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	245.32	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
2	- वही -	- वही -	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	जीनिंग सनशाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	215.72	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
3	- वही -	- वही -	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	शानदोंग सेंचुरी सनशाइन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	215.72	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
4	- वही -	- वही -	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 से 3 में उल्लिखित के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	330.57	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर
5	- वही -	- वही -	चीन जनवादी गणराज्य के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	330.57	मीट्रिक टन	अमरीकी डॉलर

टिप्पणी — उपर्युक्त उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग, सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित हो, जिसमें उसका/उसकी नाम तथा पदनाम उल्लिखित हो, और जो निम्नानुसार हो:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक द्वारा आच्छादित भारत को निर्यात हेतु विक्रय की गई (मात्रा) (विचाराधीन उत्पाद) का निर्माण (देश का नाम) में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि इस बीजक में प्रदत्त जानकारी पूर्ण एवं सही है। यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू शुल्क देय होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क विधि एवं विनियमों के अधीन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित किए बिना होगी।”

ढ. आगे की प्रक्रिया

135. इन अंतिम निष्कर्षों में नामित प्राधिकरण के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
[DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES]
FINAL FINDING
New Delhi, the 19th March, 2026
Case No. AD (OI)-09/2025

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Beta Naphthol originating in or exported from China PR.

F. No. 6/09/2025-DGTR— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”);

1. Whereas, Bodal Chemicals Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Act and the Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Beta Naphthol (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification No. 6/09/2025-DGTR dated 29th March, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- i. The Authority notified the Embassies of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5.

- ii. In accordance with Rule 6, the Authority issued a public notice dated 29th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from the subject country.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject country, through their Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2 Period of Investigation and Injury Period

- i. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

3.3 Import Data

- i. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

3.4 Circulation of non-confidential version of the application

- i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Governments of the subject country, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.5 Participation by Exporters of Subject Country

- i. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Buipo International
 - ii. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
 - iii. China Jiangsu International Chemical Co., Ltd.
 - iv. Dalian Chem Imp and Exp Group Co., Ltd.
 - v. Hangzhou Dinghao Chemical Co., Ltd.
 - vi. Hubei Tynem Trade Co., Ltd.
 - vii. Jining Sunshine Chemical Co., Ltd.
 - viii. Nanjing Sincerity Chemical Co., Ltd.
 - ix. Nanjing Skyfly Chemical Co., Ltd. (Skyfly Industry Limited)
 - x. Neimenggu Mei Li Jian Chemical Technology Co., Ltd.
 - xi. Shanghai Amino-Chem Co., Ltd.
 - xii. Sinochem Plastics Co., Ltd.
 - xiii. Wintersun Colour Co., Ltd.
 - xiv. Xian Full Link Trading Co., Ltd.
 - xv. Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation
 - xvi. Zhejiang Link Chemicals Co., Ltd.
 - xvii. Zhejiang Medicines & Health Products Import & Export Co., Ltd.
- ii. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - i. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.

- ii. Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.
- iii. Jining Sunshine Chemical Co., Ltd.
- iv. Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.
- v. Shanghai Amino-Chem Co., Ltd.
- vi. Shanghai Sunrise International Ltd.
- vii. Sinochem Plastics Co., Ltd.
- viii. Tianjin Yadong Chemical Co., Ltd.
- ix. Tianjin Yadong Longxin International Ltd.
- x. Xi'an Full-Link Trading Co., Ltd.

3.6 Participation by Importers/Users

- i. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Ajanta Chemical Industries
 - ii. Anar Chemicals LLP
 - iii. Anil Organics
 - iv. Anjani Dyes and Intermediates Pvt. Ltd.
 - v. Annapurna Enterprise
 - vi. Aries Organics Private Limited
 - vii. Asiatic Colour-chem Industries Private Limited
 - viii. Becta Laboratories
 - ix. Bhageria Industries Limited
 - x. Bhagwati Intermediates
 - xi. Colourtex Industries
 - xii. Deep Chemicals
 - xiii. Devarsons Industries Private Limited
 - xiv. Divi's Laboratories Limited
 - xv. Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
 - xvi. Drashti Impex
 - xvii. Dynamic Industries Limited
 - xviii. Dynamic Products Limited
 - xix. Gaurav Industries Private Limited
 - xx. Gayatri Colour Chem Industries
 - xxi. Gopinath Chem-tech Limited
 - xxii. Hindprakash Chemicals Private Limited
 - xxiii. Jagson Colorchem Limited
 - xxiv. Kiri Industries Limited
 - xxv. Kushan Impex
 - xxvi. Loxim Industries Limited
 - xxvii. Lion Colorchem
 - xxviii. Lonsen Kiri Chemical Industries Limited

- xxix. Mangalam Intermediates
 - xxx. Macson Products
 - xxxi. Mahavir Synthesis Private Limited
 - xxxii. Micas Organics Limited
 - xxxiii. Nuchem Dye Stuffs Private Limited
 - xxxiv. N.S. Exports
 - xxxv. NCR Colors LLP
 - xxxvi. Prolife Bio-Chemical Industries Private Limited
 - xxxvii. Parshwanath Colour Chem
 - xxxviii. Pheromone Chemicals Private Limited
 - xxxix. Pravin Dyechem Private Limited
 - xl. Ronit Enterprise
 - xli. Retort Chemicals Private Limited
 - xlii. Roha Dye Chem Private Limited
 - xliii. Rohdis Aromatics
 - xliv. Sweta Chemicals
 - xlv. Shree Pushkar Chemicals and Fertilisers Ltd.
 - xlvi. Sudarshan Chemical Industries Limited
 - xlvii. Sodium Metal Pvt. Ltd.
 - xlviii. TS Speciality Chemicals
 - xlix. Trinity Pigment Industries
 - l. US Colours and Intermediates Private Limited
 - li. Vidhi Speciality Food Ingredients Limited
 - lii. World Chem Corporation
- ii. In response to the initiation of the subject investigation, Kalpsutra Chemicals Pvt. Ltd. and Dr. Reddy's Laboratories Limited have responded by submitting the user's questionnaire.

3.7 **Registered Interested Parties**

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.

3.8 **Economic Interest Questionnaire**

- i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the Embassies of the subject country, all the known exporters/producers, importers/users, domestic industry as well as the other known producers in India. The following parties responded to the Economic Interest Questionnaire.
 - i. Domestic Industry
 - ii. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
 - iii. Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.
 - iv. Jining Sunshine Chemical Co., Ltd.
 - v. Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.
 - vi. Shanghai Amino-Chem Co., Ltd.
 - vii. Shanghai Sunrise International Ltd.
 - viii. Sinochem Plastics Co. Ltd.

- ix. Tianjin Yadong Chemical Co., Ltd.
- x. Tianjin Yadong Longxin International Ltd.
- xi. Xi'an Full-Link Trading Co., Ltd.
- xii. Dr. Reddy's Laboratories Limited

3.9 Oral Hearing

- i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th January 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

3.10 Further Procedures

- i. The Embassy of the subject country in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- ii. The Authority invited views from the interested parties regarding the PCN methodology proposed by the domestic industry. All the interested parties were requested to make their views known in writing within the time limit prescribed. Since no comments were received on the scope of PUC and PCN methodology by any of the interested parties, the scope of the product under consideration was notified vide notification dated 28th April 2025, as the same as defined in the initiation notification.
- iii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- iv. Submissions were filed in the subject investigation on behalf of the following interested parties including producers, exporters, users and importers as well as association of users.
 - i. Domestic Industry
 - ii. Jining Sunshine Chemical Co., Ltd.
 - iii. Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.
 - iv. Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.
 - v. Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd.
 - vi. Shanghai Amino Chem Co., Ltd.
 - vii. Shanghai Sunrise International Ltd.
 - viii. Sinochem Plastics Co. Ltd.
 - ix. Tianjin Yadong Chemical Co., Ltd.
 - x. Tianjin Yadong Longxin International Limited
 - xi. Xi'an Full-Link Trading Co., Ltd.
 - xii. Dr. Reddy's Laboratories Limited
 - xiii. Kalpsutra Chemicals Private Limited
- v. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- vi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- vii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on

confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- viii. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- ix. A disclosure statement dated 12th March 2025 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final findings.
- x. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xi. “***” in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.27.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Views of the other interested parties

4. The other interested parties have alleged that there are quality concerns with regard to the product offered by the applicant. No other submissions have been made by other interested parties with regard to scope of product under consideration and like article.

B.2 Views of the domestic industry

5. The domestic industry has submitted as follows with regard to scope of product under consideration and like article.
 - a. Both forms of Beta Naphthol, solid crystal (flake) and dry powder form are covered in the product scope.
 - b. The product produced by the applicant is identical or alike to the imported product in all material aspects, and thus constitutes like article to the imported goods.
 - c. With regard to quality of the product, the communication with the concerned user have been shared to show that the user has not placed any order with the domestic industry, due to availability of imports at dumped prices.
 - d. The domestic industry has exported the product to USA, Germany and Japan regularly, which shows that the quality of product supplied by the domestic industry meets international standards.
 - e. The domestic industry has also received letter of recognition from its customer in USA, which shows its commitment to quality.

B.3 Examination by Authority

6. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

“3. The product under consideration is Beta Naphthol or 2-Naphthol or β -Naphthol and its chemical formula is $C_{10}H_8O$. It is naphthalene homologue of phenol available in the form of solid crystal flakes and dry powder form. It is whitish coloured flakes or powder which looks lustrous and bulky in appearance and has a sweet and tarry odour. Beta Naphthol is manufactured using major raw materials such as naphthalene, sulfuric acid, and sodium hydroxide.”

7. No request for product exclusion or modifications have been made by any interested parties. Further, the interested parties have not proposed any PCN methodology in the present investigation. Accordingly, the Authority confirmed the scope of product under consideration vide notification dated 28th April 2025. The Authority, therefore, retains the same scope of product under consideration, as notified in the initiation notification and the aforesaid notification dated 28th April 2025, in its final determination.

8. The subject goods are classified under the category of organic chemicals under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act and is classifiable under tariff code 2907 15 20. However, the goods are also being imported under 2907 1510. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
9. The interested parties have contended that the quality of the goods supplied by the applicant is inferior. However, no evidence in the form of specification sheet or test report, or any other document to support such a contention has been provided by the interested parties. The domestic industry has provided evidence in the form of certificate of recognition from its customer, which testifies to the quality of goods produced by it. The domestic industry has also emphasized that it has exported the goods to several countries, at higher prices, which shows that its goods are of international standards.
10. Having regard to the above, it is noted that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product produced by the domestic industry and that imported from the subject country are being used interchangeably by the consumers. In view of the same, the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1. Views of the other interested parties

11. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The applicant is a regular importer of the subject goods and should not be considered eligible to constitute domestic industry.
 - b. While the Authority has discretion to consider an importer eligible to constitute domestic industry, it should only be done after examining the price of imports made by the applicant compared to the domestic prices and the impact of such prices on the overall import price in India.
 - c. The share of imports should be compared to production, and not consumption, as done by the applicant.
 - d. The applicant has also not disclosed the price of the imports made by it, therefore, if the applicant has imported at dumped prices, it would indicate that the domestic industry has itself contributed to dumping.
 - e. The domestic industry has not disclosed its imports for the periods prior to and post period of investigation, thereby preventing examination as to whether it is a regular importer or not.
 - f. The imports by the applicant were not necessitated, as the domestic industry was operating with underutilized capacity and could have utilized this capacity for captive consumption. There are no special grades of the product, which were required to be imported.
 - g. The imports by the applicant form part of the subject imports, contributing to the injury parameters.
 - h. The applicant acts as a price setter by importing at low prices, as it accounts for a majority share of the market.
 - i. The other two producers of the subject goods have not supported and have not participated in the subject investigation.

C.2. Views of the domestic industry

12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. There are two other producers of like article other than the applicant, namely, Eastern Naphtha Chemicals Private Limited and Multi Organics Private Limited.
 - b. The domestic industry accounts for ***% of the total production.
 - c. The applicant has imported negligible quantity of ***MT of subject goods during the period of investigation under advanced authorization for captive consumption. Such volume of imports is minuscule in relation to total imports, total demand and total production in India.
 - d. The primary focus of the applicant is on production and not importation.

- e. Given that the fact about the import was disclosed at the stage of filing of application and the applicant has been found eligible to constitute a domestic industry, it implies that the Authority had already examined the imports made by the applicant prior to initiation.
- f. The dumped imports are priced lower than the cost of sales of the domestic industry, enabling the downstream users to manufacture and sell the downstream products to other jurisdictions at low prices. Since the domestic industry also manufactures the downstream products, domestic industry was forced to import the subject goods to keep the downstream product competitive in other jurisdictions.
- g. The import price of the domestic industry is much higher than the import price of the subject good in India.
- h. The imports by the domestic industry show the adverse impact of dumping in India as no producer would be willing to purchase the subject goods from other producers and abandon its own product, especially in case where the producer is holding unutilized capacities.
- i. As per past practice of Authority, even if the applicant has imported the product under consideration in an insignificant volume, it will be considered as eligible to constitute domestic industry. Further, in the final findings issued in the anti-dumping investigation concerning imports of “Metronidazole” from China, the Authority found the domestic producer eligible to constitute domestic industry, notwithstanding imports under advance authorisation, considering that the applicant was a producer rather than a trader.
- j. There is no requirement to provide imports for the period prior to or post the period of investigation.

C.3. Examination by Authority

13. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

14. The Authority notes that the application for initiation of the present investigation was filed by Bodal Chemicals Limited. The applicant has submitted, that, there are other domestic producers of the subject goods in India, namely, Eastern Naphtha Chemicals Private Limited and Multi Organics Private Limited.
15. The applicant has stated that it has imported the subject goods during the period of investigation. The Authority has examined the quantum of imports. It is noted that the quantity of imports is negligible, in relation to the production of the applicant, the subject imports and demand in the country. The imports by the applicant have been made under advance authorization scheme, for the purpose of production of downstream products for export markets.

Particulars	POI (MT)
Imports made by Bodal	***
Total imports into India	13,780
Imports in relation to total imports	***%
Range	0-5%
Consumption in India	17,690
Imports in relation to consumption in India	***%
Range	0-5%
Production of domestic industry	***
Imports in relation to production	***%
Range	0-10%

16. Based on the information above, the Authority finds that the focus of the producer remains on production of the product and has not shifted to importation.
17. It has been alleged that the domestic industry acts as a price setter, through imports, as it accounts for a majority position in the market. The Authority notes that the imports by the applicant are negligible during the period of investigation. Further, even the imports during the previous years were insignificant. These imported product were not sold in the market. Even after considering these imports, the domestic industry cannot be considered to be accounting for the majority share in the market. Thus, it is noted that such a small volume of imports does not allow the domestic industry to set prices in the market.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports by applicant	MT	***	***	-	***
Trend	Indexed	100	53	-	55
Subject imports	MT	20,529	16,824	16,579	13,780
Share in imports	%	***	***	***	***
Share in imports	Range	0-5%	0-5%	0%	0-5%
Sales of applicant	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	43	102	138

18. In view of the foregoing, the applicant is considered eligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, as per the consistent practice of the Authority.
19. The Authority also notes that the applicant has provided information regarding imports by it throughout the injury period. A non-confidential summary of such information was also provided to other interested parties, in the form of import volumes expressed as a % range of total imports.
20. The applicant has provided information regarding production of the two producers. The same has been considered for the purpose of the present determination. It is noted that the applicant constitutes a major proportion of ***% of the total domestic production. Therefore, the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) under the Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1. Views of other interested parties

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality:
- The applicant has claimed confidentiality in violation of Trade Notice No. 10/2018 by not disclosing non-injurious price in +/- 10% range and the net sales realisation.
 - In line with the CESTAT judgment in the case of Exotic Décor Pvt. Ltd. vs Designated Authority (Anti-Dumping Appeal No. 52233 of 2018) dated 12th June 2020, Authority is requested to provide the import data in the same format and manner as it was taken on record for the purpose of investigation.
 - The domestic industry has not disclosed the price at which the subject goods were imported by it.

D.2. Views of domestic industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
- Furthermore, the confidentiality objections raised by interested parties are belated, submitted long after the required 7-day period, and should not be accepted.
 - The domestic industry has provided net sales realization in indexed form and non-injurious price ranges in the non-confidential version of the application circulated to all interested parties, in line with the requirements of the Trade Notice. Since disclosure of net sales realization is highly confidential, disclosure of it would be prejudicial to the competitive interests of the applicant.

- c. Disclosure of the non-injurious price in a very narrow range could severely harm the industry's competitive position, so it has been presented in a broader range, which does not prejudice any interested party.
- d. The applicant has provided an import summary based on third-party market intelligence data, which it is not authorized to disclose. In any case, the Authority has not relied on the import data submitted by domestic industry at the stage of initiation itself, and sought DG System data.
- e. There is no requirement to disclose the price of imports by domestic industry, to the other interested parties.

D.3. Examination by Authority

23. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various parties to all interested parties as per Rule 6(7) of the AD Rules. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information”

24. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
25. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the applicant and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for an injury period, the same has been provided on an indexed basis.
26. With regard to the submission that the domestic industry has not disclosed the net sales realization, it is noted that the trends have been provided. The Authority finds that the information with regard to import price of individual parties is confidential in nature. With regard to the non-injurious price, the domestic industry explained that the disclosure in an inordinately narrow range would be prejudicial to the competitive interests of the domestic industry. The Authority has accepted the confidentiality claimed after having been satisfied with the justification provided by the domestic industry.
27. With regard to import data, the Authority notes that the domestic industry has identified the source as market intelligence and provided the import statement based on the same. However, the Authority has not relied upon the information provided by the interested parties, at the stage of initiation, or in its determination. The Authority has relied upon DG Systems data for its determinations in the present investigation.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1. Views of other interested parties

28. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. The confidential and non-confidential version of the questionnaire response of Dr. Reddy's Laboratories Limited was filed timely on 3rd June 2025.

E.2. Views of domestic industry

29. No submissions have been made by the domestic industry in this regard.

E.3. Examination by Authority

30. It has been examined and found that the response of Dr. Reddy's Laboratories Limited was filed within the prescribed deadline.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. Views of other interested parties

31. The other interested parties have submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. The other interested parties have requested that the dumping and injury margin should be based on the information filed by the cooperating producers/exporters.
 - b. The claimed dumping margin and injury margin of the domestic industry is meaningless.
 - c. The normal value should be determined as per consistent practice of Authority, based on optimization of cost of production of the domestic industry.

F.2. Views of domestic industry

32. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the AD Rules.
 - b. Since the provisions of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol continue to remain in force, the producers in China PR are required to show that market economy conditions prevail.
 - c. Normal value for all exporters should be determined according to para 7 of Annexure – I of the Rules and on the basis of the actual cost of production of the domestic industry with reasonable addition of profits. It cannot be assumed that the foreign producers are operating under optimum conditions, and therefore, must have achieved the lowest utilization of raw materials and utilities, or highest utilization of capacities.
 - d. The dumping margin and injury margin are positive and significant.
 - e. Individual margins may be determined based on responses filed by the cooperative producers, if such responses are found to contain adequate and accurate information.

F.3. Examination by the Authority

F.3.1. Determination of Normal Value

33. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

15. (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market

economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

34. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
35. None of the cooperative producers have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy country, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

36. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Further, the product does not have a dedicated tariff code at six-digit level, to permit consideration of price of exports from a market economy third country to other countries. The product has been imported only from the subject country into India. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on adjusted cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

F.3.2. Determination of Export Price

Export price for Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.

37. During the period of investigation, Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd. (Inner Mongolia) has exported *** MT of the product under consideration to India, of which ***MT has been exported through unrelated exporter. The balance *** MT has been exported through its related exporters, Shanghai Sunrise International Limited, Tianjin Yadong Chemical Co., Ltd. (Tianjin Yadong Chemical) and Tianjin Yadong Longxin International Limited.

Inner Mongolia → Shanghai Sunrise International Ltd. → Shanghai Amino Chem Co., Ltd. → Unrelated Customers in India

Inner Mongolia → Tianjin Yadong Chemical Co., Ltd. → Sinochem Plastics Co., Ltd → Unrelated customers in India

Inner Mongolia → Tianjin Yadong Longxin International Ltd. → Sinochem Plastics Co., Ltd. → Unrelated customers in India

Inner Mongolia → Tianjin Yadong Longxin International Ltd. → Shanghai Amino Chem Co., Ltd. → unrelated customers in India

Inner Mongolia → Tianjin Yadong Longxin International Ltd. → Xi'An Full-Link Trading Co., Ltd. → Unrelated customers in India

Inner Mongolia → Tianjin Yadong Longxin International Limited → Changshan Haicheng Chemical Co., Ltd. → Unrelated customers in India

38. The export price has been determined based on the price of sale charged from unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges after desk verification. The net export price so determined has been mentioned in the table below.

Export price for Jining Sunshine Chemical Co., Ltd. and Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.

39. Jining Sunshine Chemical Co., Ltd. (Jining Sunshine) and Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd. (Shandong Century) are related producers of the product under consideration. During the period of investigation, Jining Sunshine and Shandong Century have exported ***MT and ***MT of the product under consideration to India respectively. Both the producers have exported the product directly.

Jining Sunshine → Unrelated customers in India

Shandong Century → Unrelated customers in India

40. The export price has been determined based on the price of sale charged from unrelated customers in India. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, and bank charges after desk verification. The net export price so determined has been mentioned in the table below.

F.3.3. Dumping Margin

41. The related producers and exporters were regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters. Injury margin has also been determined in a similar way.
42. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
4.	Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
5.	Sunshine Group	***	***	***	***	25-35
a	Jining Sunshine Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	***
b	Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	***
6.	Any other producer	***	***	***	***	40-50

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Views of other interested parties

43. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury and causal link:

- i. The domestic industry has not faced volume or price injury.
- ii. The other two producers of the subject goods have neither supported nor participated in the subject investigation despite decline in their market share. This shows that the injury is not industry wide.
- iii. The subject imports have significantly declined in absolute terms. Further, the subject imports have also declined in relative terms in the period of investigation when compared with 2022-23. There is no increase in imports, as required under the provisions of para (ii) of Annexure – II of the Rules.
- iv. While the subject imports have moved in congruence with demand; the production and sales of the domestic industry have increased despite the decline in demand.
- v. The submission that imports are in excess of demand-supply gap is flawed as it has been assumed that the plant will operate at 100% capacity utilization which is not realistic. The demand-supply gap must be evaluated in light of the historical trends of capacity utilization of the applicant.
- vi. The imports made by the applicant should be excluded from scope of product, as applicant cannot take advantage of its own wrong.
- vii. There is no price suppression and depression as the import prices of Kalpsutra are higher than the domestic procurement prices.
- viii. The decline in domestic prices cannot be attributed to subject imports as even the export price of the domestic industry has declined. Thus, the decline in price is due to internal operational or management factors.
- ix. The decline in prices of the domestic industry is a strategic decision of the domestic industry to expand market share and pursue volume driven growth.
- x. The landed price is higher than the selling price of the domestic industry resulting in negative price undercutting. Thus, it is evident that the subject imports are not exerting any pressure on domestic prices.
- xi. The submission that price undercutting is negative as the domestic industry has been compelled to keep prices low to retain market share is speculative.
- xii. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period, while imports have declined.
- xiii. The temporary decline in capacity utilization in 2022-23 and 2023-24 cannot be attributed to imports as the import volumes were the same in the periods when the domestic industry achieved higher capacity utilization.
- xiv. Any alleged price undercutting has not prevented the domestic industry from achieving a growth in sales.
- xv. Despite decline in demand the market share of subject imports remained stable while that of the domestic industry increased. The market share of other producers declined which shows that the domestic industry has captured market share from such producers and has a competitive position in the market.
- xvi. In light of non-participation of other producers, the significant decline in their market share cannot be verified and relied upon. Had the share actually declined, the producers would have participated.
- xvii. Considering that the market share of domestic industry has increased by 74%, it cannot be considered that the imports dominate the market.
- xviii. The marginal increase in inventory over the injury period is owing to the increase in production. The inventory of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to 2023-24 due to increase in sales.
- xix. There has been an increase in number of employees along with the productivity per day. The expansion of workforce contradicts the claim of injury. Further, the salary and wages have declined which shows wage optimisation and not injury to the domestic industry.
- xx. The losses of the applicant declined over the injury period.
- xxi. While landed price remained same and imports declined between 2021-22 and 2022-23, the domestic industry started incurring losses from a situation of profits.
- xxii. The domestic industry has deliberately reduced prices, in order to drive volumes.

- xxiii. The applicant has stated that the imports are for captive consumption and in order to keep its downstream product competitive in global market. This shows that the injury to the domestic industry is not due to imports but by its own inflated cost and inefficiency.
- xxiv. Injury is self-inflicted as the applicant has majority market share and is a price setter. By importing subject goods at low prices, the applicant has created self-inflicted injury.
- xxv. The interest costs have increased substantially owing to global monetary tightening and interest rate increases. The increase in interest cost is not attributable to an increase in capacity.
- xxvi. The rise in depreciation shows the domestic industry has made new investments, which goes against its claim that injury has prevented business expansion.
- xxvii. The profitability of the domestic industry is affected due to Covid, Russia-Ukraine War and tensions related to Israel as stated by its CFO in Earnings Call Transcript for FY 2025 (Q3), and not due to subject imports.
- xxviii. The CFO has stated that the demand has suddenly dropped worldwide across products. This shows that profitability has declined globally and not just in the Indian market because of subject imports.
- xxix. The low capacity utilization is attributable to operational inefficiencies or business strategies.

G.2. Views of the domestic industry

44. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- i. Once the applicant constitutes domestic industry, the injury must be examined for the defined domestic industry. The financial performance of other domestic producers is irrelevant for the purpose. The same is also consistent with WTO Panel decision in the case of EC – Bed Linen and Appellate Body decision in the case of US – Hot-Rolled Steel.
 - ii. During the period of investigation, the imports declined in relative terms, compared to the previous periods, owing to decline in demand. However, imports continued to be higher than in the previous periods.
 - iii. The imports have increased in relation to production and consumption.
 - iv. The volume of subject imports is significant in relation to the Indian production and consumption.
 - v. The subject imports are more than double the demand-supply gap.
 - vi. The demand-supply gap shall be seen in light of capacities, and not production of the domestic industry, as claimed by the interested parties.
 - vii. Contrary to claim of interested parties, the imports by applicant cannot be excluded from injury analysis, since the injury must be examined with reference to subject imports.
 - viii. Decline in the landed price of imports over the injury period, has led to an increased demand for low priced imports.
 - ix. The landed price of imports has remained below the cost of sales of the domestic industry over the injury period and forced the domestic industry to sell below its costs.
 - x. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.
 - xi. Contrary to claims of interested parties, the examination of price suppression and depression shall not be based on transactions of individual parties, but subject imports as a whole. Further, price suppression and depression is not based on price of procurement but on the movement of price of cost of sales, selling price and landed price of the subject imports in India.
 - xii. The domestic industry is facing competition by the Chinese imports not only in the domestic market, but also in the international market, leading to a decline in export prices.
 - xiii. Export sales are more profitable than domestic sales showing that market conditions are severely affected due to the presence of dumped imports from China.
 - xiv. The domestic industry is being forced to match the import prices.
 - xv. It is not speculative that the domestic industry has been forced to reduce prices, since the imports command the majority share of the market. Had there been no compulsion to reduce prices, the domestic industry would have charged remunerative prices.

- xvi. The decline in prices cannot be considered a strategic decision of the domestic industry, inasmuch as the domestic industry holds a minority share.
- xvii. The capacity utilization of the domestic industry was quite high in the past. If such higher capacity utilization is considered, it would be seen that the imports are higher even considering the demand-supply gap, calculated having regard to achievable production based on such actual capacity utilization.
- xviii. While the Indian industry has the capacity to cater to a larger share of the demand, the subject imports hold a dominant share of the market in India.
- xix. The domestic industry increased its market share slightly by selling at losses, yet the overall market share of the Indian industry decreased over the injury period.
- xx. The domestic industry has provided the information available to it, with regard to production and market share of other producers.
- xxi. The subject imports did not decline commensurate with the decline in demand.
- xxii. Even though the demand in the country is more than the capacities of the Indian industry, the domestic industry has operated at underutilized capacities.
- xxiii. Even at present, the users are not importing from a single source. There are more than 50 exporters of the product, with most importers importing from more than one exporter.
- xxiv. Considering the low market share held by the domestic industry, in contrast to achievable market share, the reliance on imports cannot be attributed to demand-supply gap.
- xxv. The argument of interested parties that the market share of imports has declined is factually incorrect. The imports have continued to dominate the Indian market.
- xxvi. While inventories have declined compared to previous year, they have increased compared to the base year. Thus, when selling at profits, the domestic industry was carrying lower inventories, than that during the period of investigation.
- xxvii. The domestic industry has been forced to sell below variable cost to dispose off its inventory.
- xxviii. The domestic industry has not claimed injury in respect of number of employees and salary and wages.
- xxix. The decline in salary shows the burnt borne by the employees of the domestic industry. However, the same is also governed by a number of factors including overall operations of the company and the economy of the country.
- xxx. The profitability of the domestic industry, post 2021-22, declined steeply by 1543% over the injury period, with huge losses over the injury period. The cash profits have also declined.
- xxxi. The domestic industry was profitable in the base year, which shows that any subsequent decline is due to the decline in import price.
- xxxii. The domestic industry incurred losses in the second year due to import price not increasing, in response to an increase in costs. Such an increase in costs should have been reflected in higher import prices as well.
- xxxiii. The domestic industry earned low returns in 2021-22. It faced negative returns post 2022-23, including in the period of investigation.
- xxxiv. Since the import price is below the variable cost of the domestic industry, it has been forced to sell below its variable cost, thereby losing money per unit of sales made.
- xxxv. Imposition of duty would restore fair profits, which would allow the domestic industry to earn a profit.
- xxxvi. The negative PBIT of the domestic industry, since 2022-23 shows that the domestic industry is unable to raise capital investment and is not earning enough to service its debt obligations.
- xxxvii. For the Authority to conclude existence of material injury, it is not necessary that all parameters must show deterioration, as held in Pakistan – BOPP. In the present case, the domestic industry has gained sales, at the cost of decline in profitability.
- xxxviii. There is no evidence that the domestic industry has faced any inefficiency, due to which the applicant has suffered injury.
- xxxix. Considering that the majority market share in India is held by the imports, the domestic industry cannot be considered the price setter, as claimed by the domestic industry. In case the domestic industry was setting prices, it would not have sold the goods at losses and below variable cost.

- xl. Even the earnings before interest, depreciation, taxes and amortisation (EBIDTA) of the domestic industry has reduced over the injury period, and is negative during the period of investigation. Thus, the injury is not attributable to depreciation or interest costs.
- xli. The increase in depreciation is attributable to the fact that the domestic industry invested in certain fixed assets used in plant, not entailing capacity addition. This led to a slight increase in depreciation. Further, due to higher allocation of costs to export sales in certain years, the depreciation costs may fluctuate.
- xlii. Interest and depreciation costs are negligible in relation to total costs, while the domestic industry has suffered significant losses.
- xliii. Reliance on the investors call is not appropriate as they relate to performance of the company as a whole for all products, and not just the subject goods.
- xliv. The domestic industry is engaged in a number of Dye Intermediates, of which the subject goods account for less than 10%. Further, during the relevant period, the subject goods were classified as basic chemicals, and not as dye intermediates. The statements made in Earnings Call with reference to Dye Intermediates should not be relied upon.
- xliv. Decline in demand equally impacts domestic producers and foreign producers. However, the same cannot be a justification for dumping.

G.3. Examination by Authority

- 45. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 46. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by all the interested parties.
- 47. The interested parties have emphasized that improvement in certain parameters of the domestic industry cannot be ignored. The domestic industry has countered that mere improvement in certain parameters does not imply absence of injury particularly when there is significant deterioration in other parameters. The Authority notes that it is required to conduct a holistic assessment of all parameters, and arrive at its conclusions. Based on a holistic assessment, if Authority finds that imports have caused injury to the domestic industry, the improvement in certain parameters shall not negate such a conclusion. If, on the other hand, an examination of all parameters shows absence of injury, the deterioration in certain parameters cannot be considered injury.
- 48. The other interested parties have submitted that the absence of participation by other domestic producers may indicate that the injury may not be industry-wide. The Authority notes that the applicant constitutes “a major proportion” of the domestic production and thus, constitutes domestic industry under the law. Further, the Authority or the domestic industry cannot compel a party to participate in the investigation. The Authority is required to undertake injury analysis for the defined domestic industry. This is also in consonance with the observations of the WTO Panel in EC – Bed Linen.
- 49. The interested parties have contended that imports by applicant must be excluded from the injury examination. However, the Authority notes that under the provisions of Rule 11 of the Anti-Dumping Rules, read with Annexure-II thereto, the Authority is required to undertake injury examination with regard to the dumped imports. Such imports shall include the imports made by applicant as well.

G.3.1. Volume Effect of dumped imports

i. Assessment of Demand (Apparent Consumption)

50. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	20,529	16,824	16,579	13,780
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	43	102	138
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	47	46	30
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	20	94
Demand excluding Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	74	77	67
Demand including Captive consumption	MT	26,459	19,447	20,301	17,690

51. The Authority notes that the demand for the subject goods has declined over injury period. It is also noted that whereas demand has declined, market share of subject imports has increased.
52. Certain interested parties have contended that the market share cannot be verified in the absence of participation of other domestic producers. The Authority notes that the applicant is required to furnish the information available to it for the purpose of initiation of investigation. Further, in its rejoinder submissions, the domestic industry submitted written communication from Eastern Naphtha Chemicals Private Limited containing details of production and capacity. Such details show a steep decline in production of that producer. The interested parties have not shown that there was alternative information available, which the applicant should have furnished. It is further noted that the Authority initiated the investigation and invited all interested parties to participate in the investigation. The other domestic producers could have also participated in the investigation by submitting the required information. However, the other domestic producers have opted not to participate in the investigation. The interested parties have also not provided alternative information which the Authority may rely upon, or any evidence demonstrating that the information provided by the domestic industry was unreliable. In absence of the same, the Authority has relied upon the information submitted by the domestic industry with regard to production and sales of the other domestic producers for the purpose of the investigation.

ii. Imports in Absolute and Relative Terms

53. With regard to the volume of dumped imports, it is required to be considered whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	20,529	16,824	16,579	13,780
Demand	MT	26,459	19,447	20,301	17,690
Indian production	MT	7,120	3,390	4,200	4,794
Imports in relation to					
Consumption	%	78%	87%	82%	78%
Production	%	288%	496%	395%	287%
Total imports	%	100%	100%	100%	100%

54. The Authority notes that:

- i. The volume of subject imports has declined over the injury period. While this is partly in response to the decline in demand it is noted that whereas demand has declined, market share of subject imports has increased.
- ii. The imports increased in relation to production and consumption in POI as compared to the base year.
- iii. The imports account for 78% of the consumption in India, demonstrating that the imports are accounting for a predominant share of the Indian market.
- iv. The subject imports account for entirety of the imports into India.

G.3.2. Price Effect

55. With regard to the price effect of the imports from the subject country, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

56. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject country. Table is shown below:

Particulars	Unit	Subject country
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	1,53,471
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	0-10%

57. It is noted that the imports are marginally undercutting the prices of the domestic industry.

ii. Price Suppression / Depression

58. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs of sales and net sales realisation of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	116	114
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	80	79
Landed price	₹/MT	1,94,189	1,90,731	1,56,142	1,53,471
Trend	Indexed	100	98	80	79

59. The Authority notes that the cost of sales of the domestic industry has increased over the period. However, the selling price of the domestic industry has declined in response to a lower landed price. Over the injury period, while the cost of sales of the domestic industry has increased by 14%, the selling price of domestic industry and landed price of imports has declined by 21%. Barring 2022-23, the import prices and selling price of domestic industry have moved in line. It is further noted that the subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry. Thus, the subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.

G.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

60. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

61. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period is as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	56	75	109
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	56	75	109
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	43	102	138
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	0	20	94
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	46	59

62. The Authority notes that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period. However, the domestic industry continues to face significant underutilized production capacities.

63. The Authority notes that demand for the product fell sharply in 2022-23. Faced with decline in demand and dominance of imports, the domestic industry reduced its prices despite increase in costs on account of raw materials. Even when the domestic industry reduced the prices, the subject imports remained significant and in fact share of subject imports increased in relation to demand in India. Demand for the product thereafter remained relatively stable and the domestic industry was able to increase its domestic sales and consequently production and capacity utilization by offering competitive prices. Resultantly, domestic sales of the domestic industry fell sharply in 2022-23 and increased thereafter till the POI. Even when the sales in the POI were higher than the base year, the domestic industry was still holding very low market share and was faced with significantly underutilized production capacities.

64. Export sales of the domestic industry fell over the injury period and the domestic industry had more material to offer in the market. Captive consumption of the domestic industry is quite low as compared to capacity and production and therefore is not a cause of low merchant sales volumes.

ii. Market share in demand

65. The market share of subject imports, domestic industry and other producers over the period was as under.

Market share of	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	52	122	200
Other producers	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	64	61	45
Indian Industry as a whole	%	22%	13%	18%	22%
Subject imports	%	78%	87%	82%	78%

66. It is seen that the dumped imports command predominant share in the Indian market. Further, market share of subject imports increased in 2022-23, when demand for the product declined. Even when market share of imports declined thereafter, the same is due to efforts made by the domestic industry to sell more volumes. Further, the market share during the period of investigation is higher than that at the beginning of the injury period and continued to constitute predominant share in Indian market. The Authority notes that the domestic industry lost market share in 2022-23 when the demand for the product declined. Thereafter, the domestic industry gained market share. However, market share of the domestic industry continued to remain at low levels despite unutilised production capacities and competitive prices offered by the domestic industry. Further, the other domestic producers and the Indian industry as a whole have lost market share over the injury period.

67. The domestic industry has highlighted that while it could have catered to a much larger market, it has been relegated to a very small market share. The Authority notes that the capacity in India is sufficient to cater to a much higher share of 86% in total demand in India. However, as against this, the industry as a whole holds a share of 22%, while the subject imports account for 78%. Even if the actual achieved capacity utilization of the domestic industry in the past is considered, the Indian industry could have catered to the majority share. However, it has been relegated to the minority share by the subject imports.

iii. Inventories

68. Inventories of the domestic industry over the injury period were as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	166	191	114

69. The Authority notes that the inventories with the domestic industry increased in 2022-23 despite reducing production. Thereafter, whereas inventories declined till the beginning of the POI, the same increased again towards the end of the POI. It is noted that the domestic industry has sold at losses to dispose of such inventories.

iv. Employment, productivity and wages

70. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	90	106
Salaries and wages	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	67	68	92
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	83	103

71. The Authority notes that the number of employees and productivity of the domestic industry has increased over the injury period with increase in production. However, the salaries and wages of the domestic industry have declined. The domestic industry has not claimed any injury on this account.

v. **Profits, cash profits and return on capital employed**

72. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	116	114
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	80	79
Profit/loss	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-1,584	-1,498	-1,443
Profit/loss	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-733	-1,654	-2,173
Cash profits	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-394	-901	-1,205
Cash profits	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-876	-840	-824
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-662	-1,179	-1,430

73. It is noted that:

- i. The domestic industry has incurred losses throughout the injury period, barring the base year. Further, the losses of the domestic industry have increased significantly in the POI as compared to 2022-23 and 2023-24.
- ii. The domestic industry has also emphasized that it has been forced to sell the subject goods below its variable cost in order to compete with the imports.
- iii. The domestic industry has incurred steep cash losses and negative return on capital employed in the injury period.

74. Certain interested parties have claimed that the injury may be attributable to increased interest and depreciation costs. The Authority notes that Earnings before Interest and Depreciation, EBIDTA, are also negative, and have declined over the injury period. Therefore, the domestic industry has incurred a loss, before providing for interest and depreciation expenses. That being the case, the losses suffered cannot be attributed to interest and depreciation costs faced.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
EBIDTA	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-296	-695	-911

75. The interested parties have alleged that the increase in depreciation cost shows new investment, which goes against the claim of injury. It is noted that each capital addition in a business does not necessarily entail capacity addition. In a normal business situation, a producer may require replacement of certain plant and machinery, or purchase ancillary fixed assets, not leading to capacity addition. The fixed assets details of the domestic industry and depreciation costs claimed have been verified. The Authority has relied upon the verified information in this regard.

vi. Growth

76. The growth of the domestic industry in terms of volume and profitability parameters is as under.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Production	%	-	-44%	34%	45%
Domestic sales	%	-	-57%	138%	36%
Profit / loss	%	-	-833%	-126%	-31%
Cash profits	%	-	-494%	-129%	-34%
Return on capital employed	%	-	-762%	-78%	-21%

77. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown positive growth in the injury period. However, the profitability parameters of the domestic industry showed a negative growth throughout the injury period.

vii. Ability to Raise Capital Investment

78. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined significantly and the domestic industry has incurred significant losses and cash losses in the period of investigation. The EBIDTA of the domestic industry itself is negative. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment.

viii. Magnitude of Dumping Margin

79. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country. The dumping margin is positive, and significant.

ix. Factors affecting prices

80. The Authority notes that the imports account for the majority share in the market. Contrary to the claims of the interested parties, the domestic industry does not account for a significant enough share in the market to be a price setter. The imports constitute more than 75% of the market, and are setting the prices in the market. The domestic industry has supplied the product at prices comparable to the subject imports. The information on record also shows that the domestic industry has not been able to increase its prices in response to the increase in cost. Rather, the imports have depressed the prices of the domestic industry. In view of the same, it is noted that the subject imports have impacted the prices of the domestic industry.

H. CAUSAL LINK**H.1. Non-attribution analysis**

81. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

a. Volume and value of imports from third country

82. It is noted that apart from the subject country, there are no imports into India. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from other countries.

b. Contraction in demand

83. While the demand for the subject goods has declined over the injury period, the demand continues to remain higher than the capacity in India. The domestic industry has faced injury as the subject imports are accounting for the predominant share in demand, while the Indian industry holds a minority share. In view of the significant demand existing in the market, the Authority does not find that the industry has suffered injury due to contraction in demand.

c. Pattern of consumption

84. No changes in pattern of consumption have been identified, which could have caused injury to the domestic industry. Thus, the injury to the domestic industry cannot be attributed to changes in patterns of consumption.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

85. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry

e. Developments in technology

86. The investigation has not revealed any changes in technology, which could have led to obsolescence of technology held by the domestic industry. In view of the same, the Authority does not find that the injury to the domestic industry can be attributed to developments in technology.

f. Productivity

87. The productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Thus, injury is not due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

88. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

89. As regards the submissions that the export price of the domestic industry has declined over the injury period, the Authority notes that during the period of investigation, the export price of the domestic industry has remained higher than its domestic selling price. In such a situation, the domestic industry cannot be considered to have suffered due to its export performance.

h. Performance of other products

90. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

i. Injury due to own imports

91. Certain interested parties have argued that the domestic industry has suffered injury due to own imports. However, the Authority has examined the issue and found that the imports of the domestic industry are negligible in relation to the subject imports into India. Further, the imports are negligible in relation to the own production of the domestic industry. Therefore, the own imports of the domestic industry have not caused injury to it, as alleged by the interested parties.

j. Incompetitiveness of the domestic industry

92. Certain interested parties have contended that the fact that the domestic industry is importing for captive consumption shows that the domestic industry is not competitive in global market. The Authority notes that the domestic industry has imported under advance authorization program. Such program permits parties to import duty-free, even after imposition of anti-dumping duty. It is found that the imports were priced below the cost of sales of the domestic industry. If other producers of downstream product are importing the product duty-free at dumped prices, and exporting the same, the domestic industry cannot use its own material, and be competitive with other producers. The use of imported raw material does not reveal incompetitiveness of the domestic industry, but merely highlights the cheaper prices at which the imported material was available.

k. Covid, Russia-Ukraine conflict and tensions related to Israel, and decline in demand worldwide

93. The interested parties have also relied on the earnings call of the domestic industry to argue that the domestic industry has itself attributed the decline in its performance due to Covid-19, Russia-Ukraine conflict and tensions related to Israel. The Authority notes that such statements have been made in the context of 2022-23, and not the period of investigation. By contrast, the information on record shows that the profitability of the domestic industry has deteriorated significantly in 2023-24 and the period of investigation. Thus, the same cannot be attributed to the factors highlighted by the parties. Further, the statements made relate to dye intermediates as a whole, sold in both domestic and export markets, while the Authority has conducted injury analysis for the sales of subject goods in the domestic market. Therefore, the Authority has relied upon the verified data, in arriving at its determinations.

94. As regards the decline in demand worldwide, the Authority has already noted that the demand for the subject goods has declined. However, the demand continues to remain significantly higher than the Indian capacity. Further, the domestic industry has witnessed an increase in its volume parameters. That being the case, the injury to the domestic industry is not on account of any decline in demand.

I. INJURY MARGIN

95. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
96. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters.
97. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
98. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1.	Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
2.	Sunshine Group	***	***	***	***	10-20
a.	Jining Sunshine Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
b.	Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	5-15
3.	Any other producer	***	***	***	***	20-30

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**J.1. Submissions by other interested parties**

99. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. The capacity of the domestic industry is not sufficient to cater the demand of the country, thus leading to reliance on imports to fill the demand-supply gap. Many users rely on imports, as they prefer to have a single source.
 - ii. To determine the demand-supply gap, Indian demand should not be compared with the unverifiable Indian capacity, but should be compared with production or capacity of the domestic industry.
 - iii. The impact of the duty presented by the applicant is solely on the dyes sector and ignored all other sectors which shows a misleading picture. The impact on Kalpsutra will be substantial as the product under consideration constitutes over 50% of the total cost.

- iv. The product under consideration is a critical input for certain users, and imposition of anti-dumping duty which would increase the cost of production for such users and impact their interest. The users have limited ability to pass on the increase in cost due to competition in the downstream market.
- v. Imposition of anti-dumping duties would lead to supply shortages, supply chain disruption, and higher raw material costs, rendering the downstream industries uncompetitive.
- vi. Imposition of anti-dumping duty will make the downstream product less attractive in the global markets.
- vii. Imposition of anti-dumping duty may compel the customers of the downstream industry to seek alternate material which will lead to decline in demand for their product.
- viii. The product under consideration is a critical input used in pharmaceutical industry. The cost of Beta Naphthol in the total cost of downstream product is 35- 40%.
- ix. The imposition of duty will lead to increase in costs of medicines, adversely affecting the healthcare sector, public health and policy of the Government encouraging APIs and KSMs.
- x. Dr. Reddy uses Beta Naphthol to manufacture Naproxen, which was once included in essential commodities list, for sale in India and global markets.
- xi. Increase in price of the product under consideration would increase costs for Indian pharma and agrochemical products, making exports less competitive and thus, reducing foreign earnings.
- xii. The exporters are already facing prohibitive tariffs in USA, and the imposition of duty would further weaken their ability to sustain exports.
- xiii. The impact analysis submitted by the user in their questionnaire response shows the adverse impact of duty on downstream users.
- xiv. The domestic industry is not equipped with enough capacity to cater the demand of Dr. Reddy and it is forced to import the product.
- xv. Imposition of anti-dumping duty will lead to supply shortages.
- xvi. The claim that the domestic industry would be forced to shut down is a huge exaggeration as the production, sales and market share of the domestic industry have increased in the injury period.
- xvii. The fact that two producers that are small / medium scale producers have not supported the present application shows that the domestic industry, which is a large scale multi-national corporation, is seeking undue protection.
- xviii. Irregular captive consumption by the domestic industry makes supply of the product under consideration unreliable, disrupting planning and operations for downstream users.
- xix. The Authority is requested to grant exemption to the pharmaceutical industry from anti-dumping duty as only a small share of total domestic production of Beta Naphthol is consumed by the pharmaceutical sector compared to other industries in India.
- xx. The imposition of duty would prevent long-term contracts and investment decisions by downstream industries. It may slow technology absorption, limit access to various specifications demanded in high-performance applications, and disincentivize downstream value addition in India
- xxi. Submission of the domestic industry that the Chinese producers receive government support are not supported by evidence.

J.2. Submissions by the domestic industry

100. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Apart from India and China, there are no other producers of the subject goods globally. If production in India ceases, both India and the rest of the world would become entirely reliant on imports from China, thereby enabling China to raise prices and disrupt fair market conditions.
- ii. The imposition of the anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market, the viability of domestic production of the like article, and prevent India from becoming solely import reliant in the product.

- iii. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry that can supply the product alongside fairly priced imports. If consumers become entirely dependent on imports, they would be compelled to maintain higher inventory levels, whereas domestic sourcing allows for lower inventory requirements.
- iv. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become, and would boost employment and increase the GDP of the country.
- v. The product under consideration serves as a chemical intermediate in various industries and is not a major raw material for downstream products. Its cost represents only a miniscule part of overall production costs, so any impact on downstream users from the proposed duties would be minimal.
- vi. The impact of duty on users for various products would be less than 1%.
- vii. The domestic industry has quantified the impact of the product under consideration on the major sectors, namely the pharmaceutical and dyes industries, which together account for the predominant share of demand. Other downstream industries, such as the fragrance industry, constitute only a small part of total demand in India.
- viii. The user, Kalpsutra, has claimed an impact of 50% without submitting any backup. They should be directed to substantiate the claim.
- ix. DRL itself has acknowledged that the pharmaceutical industry accounts for only a small proportion of total domestic production of Beta Naphthol, and thus, the impact on its product may not be representative of the public.
- x. The domestic industry has quantified the impact of duty on the product produced by DRL at 0.63%.
- xi. DRL has not shared a non-confidential version of the impact calculated by it with the interested parties.
- xii. Since significant imports are under advance authorization, such imports can continue, even after imposition of duty. Thus, the duty shall not affect exports.
- xiii. If the losses continue, it would impact the viability of operations of the domestic industry, and the domestic industry would be forced to cease operations.
- xiv. Non-imposition of duty would lead to monopolization of market by Chinese producers, who may divert product to another market, in case better prices are offered.
- xv. Since the domestic industry is only seeking re-establishment of fair prices, no undue remedy would accrue to the domestic industry.
- xvi. Existence of a demand-supply gap is not a justification for dumping. The same has been settled through various findings of the Authority and decisions of Courts.
- xvii. While the interested parties have claimed that the domestic industry has provided unverified information, the interested parties have provided no information at all.
- xviii. There is no basis for seeking that the capacity of other domestic producers be excluded in the determination of demand-supply gap.
- xix. The information with regard to capacity of Eastern Naphtha Chemicals Private Limited has been received from the producer itself, and the communication has been enclosed. The capacity claimed for Multi Organics Private Limited corresponds with the capacity mentioned in the Environmental Clearance Certificate available on their website.
- xx. Low-priced imports of the subject goods have caused unnecessary outflow of foreign exchange, with imports covering 84% of the Indian market during the investigation period. Imposing duties would encourage preference for domestic goods, conserve foreign exchange, particularly since the applicant relies on indigenous raw materials.
- xxi. The imposition of duty would be consistent with the "Make in India", "Vocal for Local" and "AtmaNirbhar Bharat" missions of the Government.
- xxii. Although India has a demand-supply gap, the domestic industry is making losses, the capacity of the industry is underutilized, and imports meet most demand. In this situation, further investment is unlikely and not attractive to new investors. New capacity addition requires investment of ₹ 30-40 crores, which is not possible at present.

- xxiii. There is a lack of alternative sources of supply, demonstrating the need to preserve the existing domestic sources.
- xxiv. The Chinese producers are receiving significant support from the Government, which allows them to export at lower prices.
- xxv. The users want the domestic industry to continue to compete with unfair imports, so that they do not have to compete with fair imports. Since anti-dumping duty is limited to the dumping margin, the users would, at best, be at par with global competitors post imposition of duty. If users are not able to compete at such prices, it implies an inefficiency on their part.
- xxvi. Only one user has filed a response to Economic Interest Questionnaire, in which it has stated that the product does not have substitutes. In any case, since the impact of duty is negligible, the users have no reason to seek alternative products, as alleged by interested parties.
- xxvii. Contrary to claim of the interested parties, in absence of domestically produced raw materials, the objective of strengthening the domestic API and KSM would be undermined.
- xxviii. The concerns regarding supply shortages are unfounded as the importers can continue to import subject goods from the subject country at fair prices even post imposition of anti-dumping duty.
- xxix. DRL is in bumped profits, and has earned a profit of ₹ ***crores, while the domestic industry has incurred a loss. No case for exemption to pharmaceuticals industry is made out.
- xxx. The share of captive consumption in total production is negligible. Considering that the domestic industry holds significant underutilized capacities, it cannot be considered that the users are unable to purchase because of the captive consumption.

J.3. Examination by the Authority

101. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country, rather it is a mechanism to ensure a level playing field. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain intact by the imposition of these measures. The imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
102. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
103. With regard to the submissions that there is demand-supply gap in India, the Authority notes that the domestic industry is suffering significant under-utilisation of production capacities. In any case, demand-supply gap is not a justification for dumping in India. The Authority has determined the dumping margin based on the response filed by the foreign producers and exporters. The dumping margin is positive. Further, demand-supply gap in India does not bar the domestic industry from seeking redressal against such dumping of the product in the country.
104. The Authority notes that the demand-supply gap shall be determined having regard to the total demand and total supply in the country. The domestic industry has already provided evidence with regard to capacities of the other domestic producers, as was available to it. The other interested parties have not demonstrated that the capacities claimed by the domestic industry were not appropriate. The Authority has relied upon the total Indian capacities for the determination of demand-supply gap.

Particulars	Unit	Volume
Demand	MT	17,499
Indian capacity	MT	15,000
Demand-supply gap	MT	2,499
Subject imports	MT	13,780

105. The Authority further notes that the existence of demand-supply gap underscores the need for fresh investment in the country. The domestic industry has claimed that fresh capacity addition requires an investment of ₹ 30-40 crores. The Authority notes that in the present situation, the domestic producers have been relegated to an insignificant market share, while the subject imports control the market. The domestic producers are faced with underutilized capacities. The information on record shows losses to the domestic industry. The market situation for the product is not conducive for investment. Therefore, the continuation of dumping would not address the demand-supply gap, but only prevent further investment.
106. As regards the argument that the domestic industry has consumed the product captively, the Authority notes that the captive consumption by the domestic industry is insignificant in relation to its production and capacities. In contrast, the domestic industry is faced with significant underutilized capacities.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	56	75	109
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	56	75	109
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	20	94
Captive consumption as % of capacity	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	20	95
Captive consumption as % of production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	27	87

107. The domestic industry has quantified the impact of duties on the downstream products. The same has been summarized below. The domestic industry has, therefore, claimed that the impact of duty of 10% would be in the range of 0.16% to 0.99% on various products. The Authority notes that considering the proposed duty of about 10-20%, the impact on actual landed price, as per calculations submitted by domestic industry, is as below.

Particulars	Price of Dye	Landed price of PUC	Cost increase by 12% in case of Anti-Dumping Duty	Beta consumed in 1 kg Dye	Impact	
					₹/Kg	%
Unit	₹/Kg	₹/Kg	₹/Kg	Kg/Kg	₹/Kg	%
Acid Black 164	500	153	18.36	0.05	0.918	0.18%
Direct Red 239	500	153	18.36	0.3	5.508	1.10%
Pigment Red 49:1	360	153	18.36	0.23	4.2228	1.17%
Reactive Orange 84	500	153	18.36	0.17	3.1212	0.62%
Metanil Yellow R	520	153	18.36	0.1	1.836	0.35%
Acid Red 88	400	153	18.36	0.25	4.59	1.15%
Pigment Orange 5	680	153	18.36	0.4	7.344	1.08%
Reactive Red 141	400	153	18.36	0.18	3.3048	0.83%

108. The domestic industry has also quantified the duty on Naproxen Sodium, the product produced by Dr. Reddy's Laboratories Limited (Dr. Reddy's). The information provided by the domestic industry shows that the impact of duty on the final price of the product would be insignificant.

Particulars	Unit	Pharmaceuticals - Naproxen Sodium
Estimated price of downstream product	₹/Kg	4,000
Cost of PUC	₹/Kg	153
Cost increase by 12%	₹/Kg	18.36
Beta consumed in 1 kg of Naproxen	Kg/Kg	1.6
Impact	₹/Kg	29.38
Impact	%	0.73%

109. Both the users, Kalpsutra Chemicals Private Limited (Kalpsutra) and Dr. Reddy's have disputed the calculations provided by the domestic industry. Kalpsutra has claimed that the impact of duties on its operations would be 50%. However, it has not provided any calculations in support of its argument nor the claimed impact appears reasonable. Therefore, the Authority has not relied upon the impact claimed by Kalpsutra.
110. Dr. Reddy's has provided a calculation of impact on its product. However, the same was based on an inordinately high landed price, and impact of duty. The Authority revised and adjusted the same to reflect the landed price prevailing during the period of investigation, and the duty recommended. The impact of duty quantified is seen as below.

Product	Impact	Impact Range
2 6 AMN (Consumed in-house)	***	3-4%
DL Acid	***	1.5-2.5%
Naproxen	***	1.5-2.5%
Naproxen Sodium	***	1-2%

111. It is, therefore, noted that the impact of duty as per calculations furnished by Dr. Reddy's is also not significant. The highest impact is on 2 6 AMN, which is consumed captively by the user. The impact on remaining products is much lower, and not as high as that claimed by the user.
112. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of the downstream industry making it unviable, the Authority notes that viability of the downstream industry cannot be dependent upon dumped prices of the product under consideration.
113. With regard to performance of downstream industry in export market, the Authority notes that in order to export the downstream product, the user industry can import the product under consideration under advance license without payment of anti-dumping duty. Already, significant exports are being made under advance authorization.
114. As regards the request for exemption to pharmaceuticals industry, no case has been made out for the same. As per the evidence placed on record by all interested parties, the impact of duty on the pharmaceuticals industry is also insignificant. The industry is in significant profits, and can import raw materials at fair competitive

rates. There is no need for concern that the industry would be forced to pass on the price increase to the downstream consumers. The importance of the pharmaceuticals sector only underscores the need for a vibrant and healthy industry of the subject goods in India.

115. As regards non-participation by the other domestic producers, the Authority notes that the applicant itself accounts for more than 70% of the Indian production. In such a situation, no adverse inference can be drawn from the absence of participation by other domestic producers.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by other interested parties

116. The other interested parties have made the following submissions post issuance of the disclosure statement:

- i. The applicant is a regular importer of the subject goods and is not eligible to constitute domestic industry as per the Anti-Dumping Rules. The Authority has held that the imports by the applicant are in the range of 5-10%. Such significant imports make the applicant a major importer of the product and the analysis that the focus of the producer remains on production is incorrect.
- ii. The injury to the domestic industry is self-inflicted as the applicant has acted as a price setter by importing significant quantity of imports at low prices.
- iii. There is no price injury as the landed price of subject imports was above the selling price of the domestic industry. Since the subject imports were not undercutting the prices of the domestic industry, there can be no price pressure due to such imports and hence, no price suppression or depression.
- iv. Since the domestic industry has improved its market share, the decline in selling price is a commercial strategy to increase volume and market share. This is also evident from the fact that the export price of the applicant has moved in tandem with the domestic selling price.
- v. While the Authority has concluded that the market share of subject imports has increased, the data provided in the disclosure statement shows that the market share has remained constant in the period of investigation as compared to the base year and has declined as compared to 2022-23 and 2023-24.
- vi. Similarly, contrary to the conclusion drawn by the Authority, the data shows that the subject imports declined significantly in the period of investigation in relation to production and consumption compared to previous years and remained the same as compared to the base year.
- vii. The examination made by the Authority on injury is contradictory and does not show injury to the domestic industry as the volume parameters of the domestic industry including production, sales, capacity utilization and market share have increased significantly over the injury period despite decline in demand.
- viii. There is no volume injury as the imports from China declined at the rate faster than decline in demand in India. The imports have moved in tandem with demand in India. Merely because the subject imports hold large market share does not show injury by itself.
- ix. There is no injury to the domestic industry as the inventories of the domestic industry have declined, productivity has increased.
- x. The Authority failed to examine the submissions of the other interested parties with regard to other reasons of injury to the domestic industry. The domestic industry has suffered injury due to (a) demand-supply gap in India and preference to the users to maintain single source of procurement for complete requirement, (b) low-priced imports by the applicant and (c) increase in interest cost.
- xi. Since there is no volume effect or price effect, there can be no causal link between imports of subject goods from the subject country and injury to the domestic industry.
- xii. There is no causal link between subject imports and injury as the decline in the profitability of the domestic industry declined even when the landed price of the subject imports remained almost same in 2021-22 and 2022-23 and the volume of imports declined.
- xiii. While the Authority has concluded that contraction in demand has not caused injury to the domestic industry as the demand is more than capacity of the domestic industry. However, with contraction in market size, profitability and pricing decision of a producer is affected which is unrelated to imports.
- xiv. The analysis regarding the demand-supply gap and necessity of imports in India is erroneous as the Authority has relied on unverified capacity information provided from the domestic industry. While

- the Authority has held that none of the interested parties has provided evidence to the contrary, the Authority has not considered the fact that the capacity information was not disclosed to the other interested parties by the domestic industry in order for the other interested parties to dispute the same.
- xv. Imposition of anti-dumping duty would raise costs of the downstream users, reduce their competitiveness in both domestic and international markets.
 - xvi. The Authority should consider the broader downstream impact for industries where Beta Naphthol is used as a key input.
 - xvii. The product under consideration is a critical input used in pharmaceutical industry. It is used at the initial stages of a multi-stage production process and a cost increase at this stage will affect subsequent intermediate and final products, as well as the competitiveness of the pharmaceutical industry at the global stage.
 - xviii. Existence of a demand-supply gap will necessitate imports. Further, users cannot be expected to bear burden of cost increase in present to foster investment in future.
 - xix. Imports under advance authorization license is not a viable solution since pharmaceutical end products are sold in domestic and international markets.
 - xx. The Authority should grant end-use based exemption to the pharmaceutical industry, which accounts for a very small share in the total consumption.
 - xxi. The Authority is requested to confirm the final findings in respect to determination of individual margin as determined in the disclosure statement for Inner Mongolia and Sunshine Group.
 - xxii. The anti-dumping duty should be based on injury margin.
 - xxiii. The Authority has provided insufficient time to file comments to disclosure which has prevented the parties from analyzing the findings and defending their interest.
 - xxiv. The Authority should either terminate the investigation or issue a fresh disclosure correcting the errors in the current disclosure statement.
 - xxv. A non-confidential version of the rejoinder and the comments on disclosure statement submitted by the domestic industry should be shared with all parties, along with an opportunity to address these issues.

K.2. Submissions by domestic industry

117. The domestic industry has made the following submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. The Authority is requested to confirm the disclosure with regard to domestic industry and standing, dumping, injury and causal link.
 - ii. The domestic industry has continued to suffer material injury post period of investigation as the landed price of subject imports has remained below the cost of sales of the domestic industry.
 - iii. The domestic industry has suffered losses and cash losses post period of investigation.
 - iv. The inventories of the domestic industry have increased even though it has sold at losses post period of investigation.
 - v. The cumulative losses of the domestic industry have increased significantly post period of investigation.
 - vi. The non-injurious price determined for the domestic industry is not appropriate as the same is much below the claimed non-injurious price. Further, a proper disclosure of the non-injurious price has not been provided to the domestic industry.

K.3. Examination by the Authority

118. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and those backed up with evidence have been considered relevant by the Authority are examined below.
119. With regard to the submissions that the domestic industry is a regular importer of the product, the Authority has already held in the relevant section that the imports are negligible in relation to production of the applicant,

- subject imports and demand in the country. Thus, the Authority has considered the applicant eligible to constitute domestic industry in the present investigation. Further, since the imports by the domestic industry is negligible and imported only for self-consumption, such imports have not impacted the overall market price in India and hence, the domestic industry cannot be considered as a price setter.
120. With regard to the submissions that the decline in selling price is a commercial decision of the domestic industry to gain market share, the Authority notes that the landed price of the subject imports was below the cost of sales of the domestic industry. In such a case, the domestic industry was unable to charge prices in accordance with the cost of sales. It is further noted that during 2021-22 when the landed price was above the cost of sales of the domestic industry, the domestic industry was profitable.
 121. The other interested parties have submitted that the market share of the subject imports has not increased. The Authority notes that the market share has remained significant even after decline in demand in India. The Authority has already noted that the market share of the subject imports has declined in the period of investigation as compared to previous year and 2022-23 due to efforts made by the domestic industry to sell higher volumes.
 122. With regard to the submissions regarding imports in relation to production and consumption, the Authority notes that the subject imports have remained more or less at the same level during the period of investigation as compared to the base year despite decline in demand in India.
 123. As regard the submission, that the domestic industry has suffered injury even post the period of investigation, the Authority notes that since the Authority has already concluded injury during the period of investigation, the submissions with regard to post period of investigation performance are not being considered.
 124. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the demand-supply gap has been determined based on unverified information and the other interested parties did not have an opportunity to provide submissions with regard to the accuracy of total capacities in India as the said figure was not shared by the domestic industry. The Authority notes that the total capacity in India has been shared in the disclosure statement, however, even after disclosure of the said information, the other interested parties have not provided any contrary evidence regarding the Indian capacities. In such a case, the Authority has relied upon the information on record with regard to the Indian capacities.
 125. As regard the submissions that the domestic industry has suffered injury due to demand-supply gap, low priced imports by the applicant and increase in interest cost, the Authority has already examined the said issue in the relevant part of the present notification.
 126. The Authority notes that the other interested parties have submitted that there is no causal link between subject imports and injury to the domestic industry as the profitability of the domestic industry declined in 2022-23 even though the import price remained same as 2021-22. The Authority in this regard notes that while landed price of subject imports was above the cost of sales of the domestic industry in 2021-22, the cost of sales increased in 2022-23. However, the landed price declined during this period. Due to this, the domestic industry was unable to increase its prices in line with increase in cost of sales and accordingly, the profitability of the domestic industry was adversely impacted.
 127. The other interested parties have submitted that imposition of anti-dumping duty will make downstream users uncompetitive in domestic as well as international markets, the Authority notes that the subject imports are being dumped in India and such dumping has caused injury to the domestic industry. The user industry cannot have access to dumped imports in order to stay competitive in the domestic market. Further, the anti-dumping duty is recommended to be imposed on all imports into India and hence, all users in India will have access to the subject imports at fair prices which will not impact competitiveness of any particular user in India. With regard to the international market, the user industry is free to import the product under consideration under advance authorisation and without payment of any anti-dumping duty. Thus, the competitiveness of the user industry in export market would not be hampered.
 128. As regard the request for end-use based exemption, the Authority notes that there is no information on record which justifies end-used based exemption in the present investigation.
 129. With regard to the submission by the domestic industry that the non-injurious price is not appropriate, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the principles laid down under Annexure III to the Anti-Dumping Rules.
 130. With regard to request for circulation of non-confidential version of rejoinder and comments to disclosure filed by the domestic industry, the Authority notes that such submissions have not been circulated as per the practice of the Authority. Further, even the user industry which has requested for such submissions has not circulated its own rejoinder submissions and comments to disclosure.

131. As regard the submissions that insufficient time has been provided to the other interested parties for comments on disclosure, the Authority notes that all the interested parties have been provided the same timeline for filing of comments. Further, none of the interested parties have requested for extension of time for filing the comments.

L. CONCLUSIONS

132. Having examined the submissions made by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:
- a. The scope of product under consideration is Beta Naphthol or 2-Naphthol or β -Naphthol with chemical formula chemical formula is $C_{10}H_8O$.
 - b. No PCN methodology was required to be adopted for the purpose of the present investigation.
 - c. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
 - d. The applicant has imported a negligible quantity of the subject goods during the period of investigation. The applicant has, therefore, been considered eligible to constitute domestic industry, in view of the low volume of imports.
 - e. The applicant constitutes a major proportion of the domestic production of the subject goods and thereby constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
 - f. The Authority has relied upon the DG Systems data for the purpose of the present investigation.
 - g. The dumping margin and injury margin for cooperative producers has been determined based on their responses filed, after due desk verification.
 - h. The dumping margin and injury margin for all producers from the subject country is positive and significant.
- i. The domestic industry has suffered material injury during the present period of investigation.
- i. While the subject imports have declined in absolute terms, the imports have remained constant in relation to production and consumption in India.
 - ii. The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.
 - iii. The domestic industry has not been able to increase its prices, in response to an increase in cost. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
 - iv. The production and sales of the domestic industry have increased over the period. However, the domestic industry has significant underutilized capacities despite demand for the product in the market.
 - v. While the industry had a capacity sufficient to meet 86% of the demand, it held a minority share, while the imports account for a dominant position.
 - vi. The losses of the domestic industry have increased significantly compared to the previous periods.
 - vii. The domestic industry has suffered significant cash losses and negative return on investment.
 - viii. The EBIDTA of the domestic industry has deteriorated significantly. The domestic industry has incurred losses before providing for interest and depreciation.
 - ix. While the volume parameters of the domestic industry have shown growth, the profitability parameters have deteriorated. Further, even when volume parameters have shown growth, the domestic industry suffered from significant under utilisation of production capacities.
 - x. As a result of the significant losses, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.
 - xi. The imports are priced significantly below the cost of sales of the domestic industry, and are preventing the domestic industry from pricing its product in accordance with the cost. Thus, the imports are impacting the prices of the domestic industry.
- j. The domestic industry has not suffered injury due to any other factor. Factors such as imports from other country, contraction in demand, patterns of consumption, conditions of competition, trade restrictive practices, developments in technology, decline in productivity, export performance of industry, performance of other products, injury due to other products, incompetitiveness of domestic industry, and Covid, Russia-Ukraine conflict and tensions related to Israel, and decline in demand worldwide have not caused injury to the domestic industry.

k. Imposition of anti-dumping duty shall be in the larger public interest as can be seen from the following:

- i. The imposition of duty shall prevent unfair advantages to foreign producers through dumping practices, and would provide a level playing field to Indian Industry in the market.
- ii. While the domestic industry can meet about 86% of the demand in the Country, existence of demand-supply gap in the Country is not a justification for dumping the goods in the market. Further, the volume of imports significantly exceeds the demand-supply gap in the country.
- iii. Imposition of duty would be crucial for encouraging investment in the product, since the product requires investment of ₹ 30-40 crores, for a new plant.
- iv. The impact of duty, based on calculations submitted by the domestic industry and the users, is not significant.
- v. Anti-dumping duty should be imposed on imports for all applications of the product. No case has been made out for exemption of imports for pharmaceuticals industry.
- vi. There would be no adverse impact of the duty on exports of downstream products, as the product can continue to be imported without payment of anti-dumping duty, under advance license.

M. RECOMMENDATIONS

133. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
134. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

S. no.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2907 15 20 and 2907 15 10	Beta Naphthol or 2-Naphthol or β-Naphthol	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia Wuhai Yadong Fine Chemical Co., Ltd.	245	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jining Sunshine Chemical Co., Ltd.	216	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Century Sunshine Technology Co., Ltd.	216	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 3	421	MT	USD
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	421	MT	USD

Note - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in the (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.’ If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.”

N. FURTHER PROCEDURE

135. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority